विधायी कार्य : सरकारी विधेयक :

LEGISLATIVE BUSINESS : OFFICIAL BILL :

विहार एप्रोप्रियेशन बिल, १९५६ (१९५६ की वि० सं० ३)।

THE BIHAR APPROPRIATION BILL, 1956 (BILL NO. 3 OF 1956).

श्री मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, आज जिस एप्रोप्रियेशन बिल पर वाद-विवाद जारी है उसमें १ अरब ३ करोड़ रुपये खर्च करने के लिये सरकार को ओथराइज करना है। यह हमारे लिये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि आज मुल्क तरक्की की ओर जा रहा है इसका यह द्योतक है। इसमें कोई शक नहीं कि आज हमारा बजट डेफिसिट बजट है और वह भी ३० करोड़ रुपये के घाटे का। लेकिन इससे हमलोगों को घवड़ाना नहीं चाहिये क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग तो हरेक प्लैन के लिये करना ही होता है और हमलोगों को इस तरह के बजट का स्वागत करना चाहिये। इस समय में अब सरकार का ध्यान सरकारी विभागों की त्रुटियों की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें सरकार उनका सुधार कर सके। जो कदम इस स्टेट में रिफोर्म्स (सुधार) के लिये उठाया गया है उसमें पहला कदम जमींदारी उन्मूलन का था। मुझे इस बात से खुशी है कि १ली जनवरी १९५६ से सारे राज्य की जमींदारी सरकार की हो गयी। लेकिन ऐसा होने से कोई बड़ी चीज नहीं हुई। जमींदारी उन्मूलन से तो यह आशा की जाती थी कि उसकी ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें गरीब किसानों को कुछ राहत मिलेगी। जमींदारी तो चली गयी लेकिन जनता की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। अभी जो लगान वसूल करने के लिये तरीका है वह संतोषजनक नहीं है। अभी तो ठीक तरह से लगान वसूली का सिलसिला भी कायम नहीं हुआ है लेकिन फिर भी जिस तरीके से लगान वसूली हो रही है उससे बड़ी गड़बड़ी हो रही है। इसके चलते भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। आज मुल्क में भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है कि इसको दूर करना बहुत आवश्यक हो गया है क्योंकि भ्रष्टाचार से डर कर हम कोई सुधार के काम को बन्द कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिये। अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जिम्मे और कामों के अलावे लगान वसूली का काम भी दिया गया है। वह सारे जिले के हर कामों के लिये जवाबदेह है और अब जिले की जमींदारी के लिये भी जवाबदेह है। इसके कामों को भी उसे सुपरवाइज करना है। यह ठीक है कलक्टरी में एक रेवेन्यु डिपार्टमेंट भी खोला गया है और एक ए० डी० एम० उसकी मदद के लिये भी दिया गया है लेकिन फिर भी सभी कामों के लिये जिला मजिस्ट्रेट ही जवाबदेह है। ए० डी० एम० को कोई अख्तियार नहीं है। किसी किरानी की बहाली या बरखास्तगी के लिये भी ए० डी० एम० को जिला मजिस्ट्रेट के यहां जाना होगा। यहां तक कि एक चपरासी के खिलाफ भी किसी तरह की कार्रवाई करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट का ही हुक्म चाहिये और उसका हुक्म हो जाने के बाद ही कोई सब-डिप्टी मजिस्ट्रेट उसकी तहकीकात करता है। यह एक बहुत ही गड़बड़ (एनामोलस) चीज है। हमारा खयाल है कि ए० डी० एम० को भी कुछ पावर मिलना चाहिये या रेवेन्यु विभाग उसकी मातहत में रहना चाहिये। अभी जो तरीका है उसमें तो वह एकदम लाचार है और सीधा कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। इसलिये हमारा यह सुझाव है कि रेवेन्यू विभाग एकदम एक अलग विभाग होना चाहिये जो ए० डी० एम० के रैंक के किसी अफसर

उस जमीन्दार को २० गुणा मुआवजा दिया यानी बचे हुए १०० रु० का मुआवजा हो गया, २ हजार रुपया। अब इस दो हजार रुपये का अभी आप मुआवजा देंगे ३ प्रतिशत के हिसाब से यानी २ हजार का मुआवजा हुआ ६० रु०। अब इस ६० रु० में से कलक्टरी और रोडसेस चार्ज वगैरह काट लिया जाता है ३० रु० यानी उस जमीन्दार को सिर्फ ३० रु० बच गया। यह तो एक हजार आमदनी वाले का हिसाब। अध्यक्ष महोदय, इस ३० रु० के लिए उसके पास नोटिस जाती है और वह जमीन्दार कचहरी में आता है और तीन रोज उसको ठहरना पड़ता है तथा विना कुछ खर्च किए उसका काम होता नहीं है तो इन सब कामों में उसको २५ रु० खर्च हो जाता है।

अध्यक्ष—आज कल तो विना दक्षिणा दिए काम नहीं चलता है।

श्री मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह—ठीक है। तो कुछ लोगों ने मुझसे शिकायत की है इसलिए मैं इस चीज को यहां पर कह रहा हूं। तो एक हजार वाले को मिला सब काट करके ५ रु० या १० रु०। उसके बाद बहुत जमीन्दार ५०० या ७०० रु० आमदनी वाले हैं और उनको कितना मिलेगा, सरकार ही जाने। इसलिए मेरा कहना है कि आप मुआवजा किसी को दें ही नहीं। क्यों नहीं दें, इसका कारण यह है कि समय का तकाजा यही है कि आप मुआवजा दे नहीं सकते हैं और पब्लिक इन्टरेस्ट में यह सम्भव भी नहीं है। मेरा कहना है कि आप मुआवजे की बात को बिलकुल उठा दें। हम इसलिए समालोचना कर रहे हैं क्योंकि सरकार की भावना है कि वह मुआवजा देना चाहती है। राजस्व मंत्री कहते हैं कि इस मामले में उनकी नीयत साफ है। हम यह नहीं कहते हैं कि गवर्नमेंट की नीयत में हमको शक है, लेकिन वस्तुस्थिति यही है कि आप मुआवजा दे नहीं सकते हैं। अगर आपको मुआवजा वास्तव में देना है तो आप ऐसा काम करें जिससे लोगों को विश्वास हो जाय और लोगों पर उसका असर पड़े।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं कह रहा था वह यह थी कि जमीन्दारी को जब ले लिया तो जो उनकी संस्थायें थीं जो जमीन्दारों के द्वारा चलाई जाती थी उनको सरकार ठीक से नहीं चला रही है। अध्यक्ष महोदय हमारे इलाके में एक अस्पताल टेकारी राज का है। यह राज अस्पताल टेकारी नगर में है। गवर्नमेंट ने टेकारी राज को ले लिया। स्वभावत: यह सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि उस अस्पताल को चलाये लेकिन गवर्नमेंट उस अस्पताल को नहीं चला रही है। गवर्नमेंट कहती है कि जमीन्दारी लेने के पहले जितनी मदद उसको जमीन्दारों से मिल रही थी उतनी मदद देंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह सभी जानते हैं कि जमीन्दारी खत्म होने के कुछ दिन पहले जमीन्दार लोगों ने संस्थाओं को मदद करना छोड़ दिया था, सिर्फ नाममात्र के कुछ दे देते थे, उपेक्षा करते थे। आज गवर्नमेंट उसी को आधार मान रही है और उसका कहना है कि उतना ही रुपया देंगे। टेकारी की जो बात मैं कह रहा था, यही एक अस्पताल उस इलाके में है। उस थाने में टेकारी नगर में ५ मील के अन्दर कोई अस्पताल नहीं है और उसको भी गवर्नमेंट नहीं चला रही है।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—उस बिल्डिंग को दिलवा दीजिए तो मैं चलाने को तैयार हूं।

श्री मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह—मैं तो इस बात को कहूंगा कि अगर सरकार कोशिश करेगी तो वह बिल्डिंग मिल जायगी। पर मेरा तो यह कहना है कि अगर वे बिल्डिंग देने को तैयार नहीं हैं तौभी गवर्नमेंट को दूसरी बिल्डिंग बनवाना चाहिये क्योंकि अस्पताल को चलाना जरूरी है।

अध्यक्ष—चाहे उसका किराया दे?

श्री मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह—चाहे दूसरी बिल्डिंग बनवा कर चलावे क्योंकि अस्पताल का रहना तो जरूरी है।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—यह तो मेडिकल मिनिस्टर को सुनाएं।

श्री मुद्रिका सिंह—मेडिकल मिनिस्टर कहते हैं कि जमीन्दारी रेवेन्यू मिनिस्टर ने ली है इसके बारे में भी उन्हीं को कहिए।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—जमीन्दारी के सम्बन्ध की जो जिम्मेवारी है और उसके बारे में जो कहना है वह हमको कहें और अगर आपको कहना है कि अस्पताल कायम होना चाहिये तो वह काम स्वास्थ्य विभाग का है और उसी विभाग की जिम्मेवारी है इसलिए इस तरह की बात स्वास्थ्य मंत्री से कहें।

श्री मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह—मैंने मेडिकल मिनिस्टर से कहा। वे कहते हैं कि रेवेन्यू मिनिस्टर जानें। आप कहते हैं कि मेडिकल मिनिस्टर जानें और मेडिकल मिनिस्टर कहें कि रेवेन्यु मिनिस्टर जानें, इस हालत में तो उस इलाके के लोग मारे जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरी बात जिसको बतलाना चाहता हूं वह है सिंचाई विभाग के सम्बन्ध में। अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि सिंचाई के काम में दक्षिण बिहार बहुत नेगलेक्टेड एरिया है और आज भी मेरा खयाल है कि दक्षिण बिहार में सिंचाई पर जितना इन्तजाम होना चाहिए, उस तरह का ध्यान नहीं दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तरी बिहार से दुश्मनी नहीं है। वहां सिंचाई का जितना भी प्रबन्ध है या हो रहा है उसे सुन कर मुझे खुशी होती है। मैं तो उत्तरी बिहार से उतना ही सम्बन्धित हूं जितना कि दक्षिण बिहार से लेकिन दक्षिण बिहार के ऊपर सिंचाई के लिए जितना ध्यान सरकार को देना चाहिए, नहीं देती है। दक्षिण बिहार में एक ही या दो नदियां ऐसी हैं जिनमें १२ महीने पानी रहता है बाकी नदियों

की मातहती में रहे और काम करे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जमींदारी या जमीन की ठीक व्यवस्था नहीं हो सकती है।

इसके बाद रेवेन्यु विभाग के लिये मांग को पेश करते हुए हमारे रेवेन्यु मिनिस्टर ने यह कहा है कि जमींदारी लेने के बाद जमींदारों के लिये उनके दिल में खयाल है और उनको वे जल्द कम्पेनसेशन देने जा रहे हैं क्योंकि वे लोग भी भारतवर्ष के एक नागरिक हैं। लेकिन उनके ऐसा कहने से मेरे दिल में कोई यकीन नहीं होता है। हमारा तो ऐसा खयाल है कि हमारे रेवेन्यु मिनिस्टर उनको मुआवजा बिलकुल नहीं देना चाहते हैं। आपने १८ करोड़ की जमींदारी ली लेकिन उनको कम्पेनसेशन देने के लिये सिर्फ ५० लाख रुपया रखा है। इससे तो यही मालूम होता है कि सरकार का व्यवहार न्याय का (डिलिंग स्ट्रेट फौरवार्ड) नहीं है। कहती तो वह कुछ है और करती कुछ और है। सरकार की जो नीति इस मामले में है उस पर अब किसी को एतबार नहीं रह गया है और उसकी नीति स्ट्रेट फौरवर्ड नहीं है। उसकी नीति किस तरह से अनिश्चित है इसको मैं बतला देना चाहता हूं। जमींदारी की १७ या १८ करोड़ सालाना आमदनी की जमींदारी सरकार ने ले ली और इतनी बड़ी आमदनी लेने के बाद उनको मुआवजा देने के लिये इस साल सिर्फ ५० लाख रुपया रखा गया है और उसको सरकार कहती है कि यह एड इन्टरीम कम्पेनसेशन है। यह ऐड इंटरीम कम्पेनसेशन है या खेलवाड़। ऐडइंटरीम कम्पेनसेशन किस तरह से दिया जा रहा है उसको भी मैं बतला देना चाहता हूं।

Shri PASHUPATI SINGH: There is no official present in the gallery, may I know why?

Shri RAM CHARITRA SINHA: No member has the right to point out whether any body is present in the gallery or not.

Shri JAGANNATH SINGH: We can draw the attention of the Government to the fact that officers are not in attendance in the Assembly.

SPEAKER: If there is no Minister present in the House every member has a right to point this out, but not about the officials or about any body in the Speaker's gallery or the visitors, gallery.

श्री मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, ऐड इंटरीम कम्पेन्सेशन जो देने की बात है उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ कह देना चाहता हूं। जिस जमीन्दार की आमदनी एक हजार की थी उसके ऐड इंटरीम कम्पेनसेशन को कल्कुलेशन करने के लिए गवर्नमेंट का यह आर्डर है कि पहले ही उसके ग्रौस आमदनी में से ४० प्रतिशत घटा दिया जाय। तो एक हजार में से ४०० रु० कट गया और बाकी बच गया ६०० रु०। अब उसके बाद वसूली के खर्च लैंड रेवेन्यू और सेस वगैरह में बचे हुए रुपये में ५० प्रतिशत काट लिया जाता है यानी पहले ही ४० प्रतिशत काट लिया गया और उसके बाद ५० प्रतिशत काट लिया। अब बच गया १० प्रतिशत

यानी जिसकी आमदनी १ हजार की थी उसको सिर्फ १०० रु० बच गया। उस जमीन्दार को २० गुणा मुआवजा दिया जायेगा यानी बचे हुए १०० रु० का मुआवजा हो गया २ हजार रुपया। अब इस दो हजार रूपये का अभी आप मुआव्जा देंगे ३ प्रतिशत के हिसाव से यानी २ हजार रुपये का मुआवजा हुआ ६० रु०। अब इस ६० रु० में से कलक्टरी और रोडसेस चार्ज वगैरह काट लिया जाता है। ३० रु० यानी उस जमीन्दार को सिर्फ ३० रु० बच गया। यह तो हुआ १ हजार आमदनी वाले का हिसाब।

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—यह तो उसको सूद में मिलेगा यानी मुफ्त में मिलेगा।

श्री मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, अब हालत यह है कि जिसने रिटर्न दाखिल किया है उसका अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। बात तो असल यह है कि गवर्नमेंट को...........

अध्यक्ष—वेरिफिकेशन करने के लिए मना कौन करता है?

श्री मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह—मना कौन करेगा, लेकिन ये वेरिफिकेशन करना नहीं चाहते हैं और कहते हैं कि वेरिफिकेशन करने का समय नहीं है। तो मेरा कहना है कि जिसकी आमदनी १ हजार रु० की थी उसका सब कुछ काट करके सिर्फ ३० रु० बच गया। इसके लिए उसके पास नोटिस दी जाती है और नोटिस जाने पर वह जमीन्दार आता है। उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हिसाब-किताब करने के लिए तीन रोज तक ठहरना पड़ता है और जब तक वह कुछ खर्च नहीं करता है तब तक उसका काम नहीं होता है। इस खर्च में उसको करीब २५ रु० पड़ जाता है यानी उसको सिर्फ ५ रु० बच गया। यह तो एक हजार आमदनी वाले की बात, लेकिन बहुत से जमीन्दार ऐसे हैं जिनकी आमदनी ५०० रु० या ७०० रु० की है।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—आपने किस प्रकार हिसाब जोड़ा है उसको फिर से दुहरा दीजिए।

श्री मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह—मैं फिर से दुहराता हूं, सुनिये। जिस जमीन्दार की आमदनी एक हजार की थी उसके ऐड इन्टेरीम कम्पेन्सेशन को कल्कुलेशन करने के लिए गवर्नमेंट का यह आर्डर है कि पहले ही उसके ग्रौस आमदनी में से ४० प्रतिशत डिडक्ट कर दिया जाय। तो एक हजार में से ४०० रु० कट गया और बाकी बच गया ६०० रु०। अब उसके कलेक्शन चार्जेज, लैंड रेवेन्यु और सेस वगैरह में बचे हुए रुपये में ५० प्रतिशत काट लिया जाता है यानी पहले ही ४० रु० प्रतिशत काट लिया गया और उसके बाद ५० प्रतिशत काट लिया गया। अब बच गया १० प्रतिशत यानी जिसकी आमदनी एक हजार की थी उसको सिर्फ १०० रु० बच गया।

उस जमीन्दार को २० गुणा मुआवजा दिया यानी बचे हुए १०० रु० का मुआवजा हो गया २ हजार रुपया। अब इस दो हजार रुपये का अभी आप मुआवजा देंगे ३ प्रतिशत के हिसाब से यानी २ हजार का मुआवजा हुआ ६० रु०। अब इस ६० रु० में से कलक्टरी और रोडसेस चार्ज वगैरह काट लिया जाता है ३० रु० यानी उस जमीन्दार को सिर्फ ३० रु० बच गया। यह तो एक हजार आमदनी वाले का हिसाब। अध्यक्ष महोदय, इस ३० रु० के लिए उसके पास नोटिस जाती है और वह जमीन्दार कचहरी में आता है और तीन रोज उसको ठहरना पड़ता है तथा बिना कुछ खर्च किए उसका काम होता नहीं है तो इन सब कामों में उसको २५ रु० खर्च हो जाता है।

अध्यक्ष—आज कल तो बिना दक्षिणा दिए काम नहीं चलता है।

श्री मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह—ठीक है। तो कुछ लोगों ने मुझसे शिकायत की है इसलिए मैं इस चीज को यहां पर कह रहा हूं। तो एक हजार वाले को मिला सब काट करके ५ रु० या १० रु०। उसके बाद बहुत जमीन्दार ५०० या ७०० रु० आमदनी वाले हैं और उनको कितना मिलेगा, सरकार ही जाने। इसलिए मेरा कहना है कि आप मुआवजा किसी को दें ही नहीं। क्यों नहीं दें, इसका कारण यह है कि समय का तकाजा यही है कि आप मुआवजा दे नहीं सकते हैं और पब्लिक इन्टरेस्ट में यह सम्भव भी नहीं है। मेरा कहना है कि आप मुआवजे की बात को बिलकुल उठा दें। हम इसलिए समालोचना कर रहे हैं क्योंकि सरकार की भावना है कि वह मुआवजा देना चाहती है। राजस्व मंत्री कहते हैं कि इस मामले में उनकी नीयत साफ है। हम यह नहीं कहते हैं कि गवर्नमेंट की नीयत में हमको शक है, लेकिन वस्तुस्थिति यही है कि आप मुआवजा दे नहीं सकते हैं। अगर आपको मुआवजा वास्तव में देना है तो आप ऐसा काम करें जिससे लोगों को विश्वास हो जाय और लोगों पर उसका असर पड़े।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं कह रहा था वह यह थी कि जमीन्दारी को जब ले लिया तो जो उनकी संस्थायें थीं जो जमीन्दारों के द्वारा चलाई जाती थी उनको सरकार ठीक से नहीं चला रही है। अध्यक्ष महोदय हमारे इलाके में एक अस्पताल टेकारी राज का है। यह राज अस्पताल टेकारी नगर में है। गवर्नमेंट ने टेकारी राज को ले लिया। स्वभावतः यह सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि उस अस्पताल को चलाये लेकिन गवर्नमेंट उस अस्पताल को नहीं चला रही है। गवर्नमेंट कहती है कि जमीन्दारी लेने के पहले जितनी मदद उसको जमीन्दारों से मिल रही थी उतनी मदद देंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह सभी जानते हैं कि जमीन्दारी खत्म होने के कुछ दिन पहले जमीन्दार लोगों ने संस्थाओं को मदद करना छोड़ दिया था, सिर्फ नाममात्र के कुछ दे देते थे, उपेक्षा करते थे। आज गवर्नमेंट उसी को आधार मान रही है और उसका कहना है कि उतना ही रुपया देंगे। टेकारी की जो बात मैं कह रहा था, यही एक अस्पताल उस इलाके में है। उस थाने में टेकारी नगर में ५ मील के अन्दर कोई अस्पताल नहीं है और उसको भी गवर्नमेंट नहीं चला रही है।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—उस विल्डिग को दिलवा दीजिए तो मैं चलाने को तैयार हूं।

श्री मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह—मैं तो इस बात को कहूंगा कि अगर सरकार कोशिश करेगी तो वह विल्डिग मिल जायगी। पर मेरा तो यह कहना है कि अगर वे विल्डिग देने को तैयार नहीं हैं तौभी गवर्नमेंट को दूसरी विल्डिग बनवाना चाहिये क्योंकि अस्पताल को चलाना जरूरी है।

अध्यक्ष—चाहे उसका किराया दे ?

श्री मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह—चाहे दूसरी विल्डिग बनवा कर चलावे क्योंकि अस्पताल का रहना तो जरूरी है।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—यह तो मेडिकल मिनिस्टर को सुनाएं।

श्री मुद्रिका सिंह—मेडिकल मिनिस्टर कहते हैं कि जमीन्दारी रेवेन्यू मिनिस्टर ने ली है इसके बारे में भी उन्हीं को कहिए।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—जमीन्दारी के सम्बन्ध की जो जिम्मेवारी है और उसके बारे में जो कहना है वह हमको कहें और अगर आपको कहना है कि अस्पताल कायम होना चाहिये तो वह काम स्वास्थ्य विभाग का है और उसी विभाग की जिम्मेवारी है इसलिए इस तरह की बात स्वास्थ्य मंत्री से कहें।

श्री मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह—मैंने मेडिकल मिनिस्टर से कहा। वे कहते हैं कि रेवेन्यू मिनिस्टर जानें। आप कहते हैं कि मेडिकल मिनिस्टर जानें और मेडिकल मिनिस्टर कहें कि रेवेन्यु मिनिस्टर जानें, इस हालत में तो उस इलाके के लोग मारे जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरी बात जिसको बतलाना चाहता हूं वह है सिंचाई विभाग के सम्बन्ध में। अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि सिंचाई के काम में दक्षिण बिहार बहुत नेगलेक्टेड एरिया है और आज भी मेरा खयाल है कि दक्षिण बिहार में सिंचाई पर जितना इन्तजाम होना चाहिए, उस तरह का ध्यान नहीं दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तरी बिहार से दुश्मनी नहीं है। वहां सिंचाई का जितना भी प्रबन्ध है या हो रहा है उसे सुन कर मुझे खुशी होती है। मैं तो उत्तरी बिहार से उतना ही सम्बन्धित हूं जितना कि दक्षिण बिहार से लेकिन दक्षिण बिहार के ऊपर सिंचाई के लिए जितना ध्यान सरकार को देना चाहिए, नहीं देती है। दक्षिण बिहार में एक ही या दो नदियां ऐसी हैं जिनमें १२ महीने पानी रहता है बाकी नदियों

में केवल बरसात में पानी रहता है। इसलिए सरकार को कोई ऐसी कम्प्रीहेन्सिव स्कीम बनानी चाहिए जिसमें कुछ बड़े-बड़े पानी के खजानों का इन्तजाम हो और उसके द्वारा पानी सुरक्षित करके रखा जा सके और जरूरत पड़ने पर पानी नहर के जरिए से दिया जा सके। सिंचाई विभाग का ध्यान इस ओर नहीं है। यह विभाग गड़बड़ तरीके से काम करता है। मैं यह नहीं कहता कि उसने रुपया नहीं खर्च किया है। मैं यह भी जानता हूं कि बहुत-सी स्कीमें मंजूर हैं जिनको वह विभाग बनाने जा रही है लेकिन मेरा कहना यह है कि कोई कम्प्रीहेन्सिव तरीके से, कोई सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं किया जा रहा है। जब तक दक्षिण बिहार की बड़ी-बड़ी नदियों के पानी का खजाना बना करके पानी जमा करने का प्रबन्ध नहीं होगा तब तक नदियों के जरिए जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल सकता है। ऐसे-ऐसे उदाहरण भी हैं और सभी लोग इसे जानते हैं कि जहां नहर है वहां भी फसल मारी गई है इसलिए कि समय पर नहर के द्वारा पानी नहीं मिल सका है इसलिए मेरा कहना है कि जब तक खजाना बनाकर सिस्टमेटिक तरीके से इन्तजाम नहीं किया जायगा तब तक नहरों के जरिए पानी देना सम्भव नहीं होगा। इसलिए मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और चाहता हूं कि दक्षिण बिहार की सिंचाई की समस्या को स्टडी करें और देखें कि कैसे सिंचाई समस्या हल की जा सकती है। जहां नहर के द्वारा सिंचाई का प्रबन्ध न हो सके वहां ट्यूब-वेल के जरिए पानी का इन्तजाम करना जरूरी है। आप जानते हैं कि दक्षिण बिहार की जमीन बहुत उर्वरा है लेकिन वास्तव में अभी जो कमी है वह सिंचाई की है। जब तक सिंचाई का इन्तजाम बढ़िया नहीं होगा तब तक दक्षिण बिहार की पैदावार अच्छी नहीं हो सकती है। उत्तरी बिहार की जमीन से दक्षिणी बिहार की जमीन कम पैदावार नहीं रहेगी। अब मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान पुनपुन नदी की ओर ले जाता हूं। एक पुनपुन नदी भी है जिसमें १२ महीने पानी रहता है और सोन भी ऐसी ही है। ये ही दो नदियां दक्षिण बिहार में हैं जिनमें १२ महीने पानी रहता है लेकिन अभी तक पुनपुन नदी की कोई स्कीम नहीं बनाई गई है इसलिए मैं सरकार से अर्ज करता हूं कि इस पर ध्यान दे, अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ठीक नहीं है। सिंचाई मंत्री तो खुद ही वैज्ञानिक हैं और विज्ञान के समर्थक हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि पुनपुन को बांध कर दक्षिण बिहार की जमीन को आबाद करने का काम किया जा सकता है। यह प्रौबलम साइंस के लिए बैफलिंग प्रौबलम नहीं है।

दूसरी स्कीम लोअर मोरहर की है। सरकार ने इसके बारे में कहा कि वह जल्द ही इस स्कीम को लेने जा रही है, लेकिन सरकार के बराबर वादा करने के बावजूद भी वह स्कीम अभी तक सैंक्शन नहीं हो सकी है। इसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। लोअर मोरहर इरीगेशन स्कीम से गया जिला के एक बड़े भाग की सिंचाई होगी। यह एक बहुत आवश्यक स्कीम है और सरकार को इसे जल्द कार्यान्वित करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक दूसरी चीज के बारे में कहना चाहता हूं। लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट का पोजीशन यह है कि हमारे स्टेट में लोकल बौडीज की समस्या का समाधान करने के लिए लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। जहां तक म्युनिसिपैलिटियों का सवाल है एक बिल बनाया गया है जो सदन में आ चुका है

और मुझे आशा है कि वह इसी सेशन में पास होगा। इसलिए म्युनिसिपैलिटियों की समस्या के सम्बन्ध में कुछ तो काम हुआ है लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के बारे में कुछ पता नहीं चलता कि सरकार की नीति क्या है? कुछ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का एलेक्शन १६ वर्षों से पेंडिंग है और सरकार कुछ निश्चय नहीं कर सकी है। अध्यक्ष महोदय, इसी सेशन में सरकार ने कहा है कि गवर्नमेंट इस साल जून के अन्दर बिहार के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का एलेक्शन कर देने का विचार रखती है। लेकिन अभी तक कोई इन्तजाम इस सिलसिले में नहीं हो पाया है। इसलिये मुझे बहुत शुबहा है कि सरकार ने जो कहा है उसके लिए वह सिनसियर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सिलसिले में तीन चीजों में कोई भी चीज की जांय तो अच्छा होगा। गवर्नमेंट अगर समझती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को जैसा है वैसाही रखा जाय तो उसका चुनाव जल्द से जल्द करवाये। और सही तरीके से उसको रखे। अगर सुधार करना चाहती है तो इसमें सुधार करे। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक बात यह चली है कि हर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव औफिसर रखे जाने वाले हैं। अगर ऐसी बात है तो उसके लिए जल्द से जल्द इन्तजाम होना चाहिए और इस सम्बन्ध में कोई बिल कंक्रीट शेप में सदन के सामने आना चाहिए। लेकिन आज तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सुधार के बारे में कोई ठोस बात सदन के सामने नहीं आई। इसके अलावा तीसरा तरीका यह हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को बिल्कुल एबोलिश कर दिया जाय और कोई दूसरा जरिया इसके कामों को चलाने का गवर्नमेंट निकाले। लेकिन अध्यक्ष महोदय, कोई भी काम इस सिलसिले में नहीं हो पा रहा है। चाहे सरकार एलेक्शन करायें, चाहे सुधार करे या एबोलिश ही कर दे, कुछ तो करना ही है लेकिन अकर्मण्यता की सीमा सरकार पार कर रही है (हियर, हियर) सरकार कोई भी चीज ठीक से नहीं करती और हमलोगों के सामने कोई भी खास चीज नहीं लाती कि इस सम्बन्ध में इसकी क्या नीति है। अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक डेमोक्रेटिक इंस्टीच्यूशन है और उसका १६ वर्षों तक चुनाव नहीं हो पाये तो यह डेमोक्रेसी की हत्या नहीं तो और क्या है। (हियर, हियर) इसलिए सरकार का ध्यान में इस ओर विशेष तौर से आकर्षित करना चाहता हूं।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं मेडिकल डिपार्टमेंट के बारे में यह कहना चाहता हूं कि दिहात के लोगों के स्वास्थ्य के इन्तजाम की तरफ जितना ध्यान सरकार का जाना चाहिये उतना नहीं दिया गया है। यह बहुत जरूरी चीज है कि जितने रूरल हौस्पिटल्स हैं उनका इन्तजाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के हाथ से सरकार ले ले और कोई दूसरा सिस्टम बनाकर उनका प्रबन्ध करे। इसकी ओर सरकार ने कुछ कदम बढ़ाया भी है और कहा गया है कि सेकेन्ड फाइव-ईयर प्लैन में २५० अस्पतालों को सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है। सरकार का प्रोपोजल था कि सभी अस्पतालों को ले ले लेकिन फंड की कमी की वजह से वह सबको नहीं ले सकती। मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता का स्वास्थ्य सबसे जरूरी और सरकार के लिए बहुत इम्पोर्टेन्ट चीज है। इसलिए जहां तक अस्पतालों की व्यवस्था का सवाल है इसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिये और फंड का इन्तजाम करके दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर सभी अस्पतालों को ले लेना चाहिये। इस सिलसिले में मेरा कहना यह है कि हर थाने में एक मोबाइल डिस्पेन्सरी होना जरूरी है जो हर गांव में जाय और लोगों के चिकित्सा का इन्तजाम करे। कितने थानों से आप जानते हैं कि गांव कितना दूर पर होते हैं और अपनी गुरबत और मजबूरी की वजह से ग्रामवासियों को मोहलत नहीं मिलती

कि वे थाने में दवा के लिए जायं। जवतक मोवाइल डिसपेन्सरी के जरिए उनलोगों तक दवा आप नहीं पहुंचायेंगे तवतक उन गरीवों का फायदा नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय, अव मैं पी० डब्लू डी० के वारे में कुछ वातें कहकर बैठ जाना चाहता हूं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में पी० डब्लू० डी० रोड्स के वारे में इन्तजाम किया गया है लेकिन गलती से गया जिला की रोड्स उसमें इन्क्लूड नहीं की गई हैं।

श्री राम चरित्र सिंह—वहुत-सी सड़कें पहले वन चुकी हैं। इसलिए अव बनाने की जरूरत क्या है?

श्री मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह—हमारे सिंचाई मंत्री जी को शायद यह मालूम नहीं है कि गया जिला रोड के मामले में सबसे ज्यादा वैकवर्ड जिला है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस वात को पूरी जवावदेही के साथ कहता हूं।

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति, सभी सदस्य सावित करने लग जायं कि हमारा जिला वैकवर्ड है तो इसके लिए समय चाहिए, आप जल्द समाप्त करें।

श्री राम चरित्र सिंह—मैं एक वात माननीय सदस्य को याद दिला दूं कि गया में ही पितृतर्पण होता है और सभी के पुत्र वहां जाते हैं, और कहीं नहीं जाते हैं।

श्री मिथलेश्वर प्रसाद सिंह—तव तो और जरूरी है कि वहां की सड़कें अच्छी वनायी जायं इसलिये कि सवको वहां जाना होता है और जव तक सड़कें अच्छी नहीं होंगी लोगों को आने-जाने की सुविधा नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने अल्प-सूचित प्रश्न माननीय पी० डब्लू० डी० मंत्री से पूछा था कि गया जिला की सड़कें दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्यों नहीं ली गई? इसका जवाव उन्होंने यह दिया कि शायद समय पर वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपना रिकमेन्डेशन वहां की सड़कों के बारे में नहीं भेजा इसलिए उन्हें इंक्लूड नहीं किया जा सका। अध्यक्ष महोदय, यह तो उस जिला के साथ वहुत अन्याय किया गया है कि मजिस्ट्रेट या किसी की गलती से उसको नहीं लिया गया। मेरा कहना यह है कि सरकार इसके बारे में रीकंसिडर करे और गया जिला की सड़कों को दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन्क्लूड कर ले इसलिए कि दूसरों की गलती की वजह से वहां के लोगों को इस सुविधा से वंचित रखा जाय और लोग सफर करें तो यह जस्टिफिकेशन की वात नहीं है।

इतना कह कर अध्यक्ष महोदय, अव मैं वैठ जाता हूं।

श्री मथुरा प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, आज वजट के भाषण के दौरान में मुझे भी इच्छा हुई कि उस पर अपनी कुछ राय जाहिर करूं। इस वार सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें एक खूवी यह है कि पंचवर्षीय योजना से संबंधित बजट

पेश किया गया है। यह बहुत ही सुन्दर प्रयास है और इसकी जितनी भी सराहना की जाय वह थोड़ी है। लेकिन दुःख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि इसमें बिहार प्लैन के बारे में कोई झलक नहीं है। यदि यह बात होती तो इसका असर बहुत ही अच्छा होता। यदि प्लैन की बात होती तो लोगों में सहयोग का भाव रहता, जनता खुशी से सहयोग देती और केन्द्रीयकरण की बुराइयों से हम बचते। यह पहला काम था कि बजट के साथ-साथ बिहार प्लैन का मसविदा पेश होता और इस सदन में उस पर भी काफी बुद्धिमानी के साथ बहस होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का यह आखिरी साल था और मुनासिब था कि बिहार सरकार ने पांच सालों में प्लैन के सम्बन्ध में जितनी कार्रवाइयां इस सूबे में की है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हमारे सामने पेश होती और उस रिपोर्ट पर भी हम गौर करते और बहस होती। इस तरह प्लैनिंग के सम्बन्ध में जो कुछ भी हमलोगों की कार्रवाई होती उसमें मजबूती आती। साथ ही मैं देखता हूं कि सरकार की ओर से यह जोरदार दावा है कि सूबे में बहुत काम हुए हैं लेकिन मेरा विश्वास है कि जनता इसके सम्बन्ध में कुछ और ही बातें कहती है। यदि यह प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे सामने होता तो सारी बातों पर प्रकाश होता और हमारा प्लैन आगे बढ़ता तथा जनता का भी सहयोग मिलता।

जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में मुझे एक छोटी-सी बात कहनी है। यह बात निर्विवाद है कि जमींदारी-उन्मूलन इसलिये की गई कि इसके अन्त होने से राज्य की व्यवस्था में एक बड़ा सुन्दर समाजवादी कदम उठाया गया और सफल हुआ। इस प्रयास की भी जितनी तारीफ की जाय वह थोड़ी है लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं। वह यह है कि इसके साथ-साथ हमारे यहां जमीन के सम्बन्ध में भी जिक्र चल रहा है, सिलिंग की बात चल रही है। सरकार की इस नीति के चलते जो लोग शिकार हुए उनके सम्बन्ध में सरकार का ध्यान काफी कड़ाई के साथ जाना चाहिये। उनकी क्या राय है, उनके क्या दुःख हैं, उनके रहन-सहन पर क्या असर पड़ा है, यदि उनके बच्चे काम करने लायक हैं तो उनको काम दिया जाय। लेकिन मुझे दुःख है कि सरकार इस ओर से उदासीन है। किसी भी राजनीतिक दल की पृष्ठभूमि मध्यमवर्ग और किसानवर्ग होते हैं। यदि इन दोनों वर्गों के साथ सौतेलेपन का बर्ताव किया जायगा तो वह दल अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता है और उसका प्रयास सुन्दर नहीं कहा जा सकता है। सरकार की नीति के चलते जो लोग शिकार होते हैं उनके रहन-सहन के सम्बन्ध में सरकार को सतर्क रहना चाहिये।

इस वर्ष बजट में सेस के कर का उल्लेख है और यह प्राइमरी एजुकेशन की सहायता के लिये लगाया गया है। इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि यदि प्राइमरी एजुकेशन की सफलता के लिये या राष्ट्र-निर्माण के कामों के लिये कुछ कर लगाये जायं तो इससे जनता भाग नहीं सकती है। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि जनता के जीवन के स्तर को कुछ उठाना चाहिये। जनता को ऐसा मालूम होना चाहिये कि वह जो पैसा देती है वह पैसा उसकी भलाई के कामों में लगाये जाते हैं। आप जानते हैं कि इंगलैंड में चालिस प्रतिशत करके रूप में जनता से लिया जाता है जिसे देने में वह जरा भी प्रतिरोध नहीं करती है क्योंकि ४० प्रतिशत जनता की भलाई में खर्च किया जाता है, इसलिये लोग देने में आनाकानी नहीं करते हैं और उनके जीवन-स्तर को सरकार बराबर नापती-तौलती रहती है तथा

वह ऐसी कारंवाई करती है जिससे लोगों को आमदनी भी होती है और उनका काम भी चलता है।

इसके बाद अब बिक्री कर के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरा विचार है कि इससे हमारा समाजवादी कदम पीछे की ओर उठा है। इसका कारण यह है कि इसका प्रभाव व्यापक रूप से पड़ा है और हम समझते हैं कि इसके जरिये अधिकतर पैसे गरीबों की जेब से निकलेंगे। अगर अधिक पैसा गरीबों की जेब से निकलता है तो यह कदम समाजवादी कदम नहीं हो सकता है। इसलिये सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिये और उसे ऐसे ढंग से काम करना चाहिये जिससे हमारा कदम पीछे न पड़े। हमारा कदम जब बढ़े तो आगे बढ़े, पीछे कभी न जाय।

अध्यक्ष महोदय, बजट में स्थानीय करों की ओर इशारा किया गया है। स्थानीय करों का रहना ठीक है क्योंकि मंगलकारी राज्य को कर लेना आवश्यक है और इससे हमलोग नहीं भाग सकते हैं। मैं सरकार का ध्यान पंचायत की ओर ले जाना चाहता हूं। सरकार ने यह तय करके कि पंचायत का चुनाव बैलेट से होगा इसकी कुछ त्रुटियों को दूर की है। यह एक सुन्दर प्रयास हुआ लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं देखता हूं कि देहातों में जहां पंचायत नहीं है लोगों में इस तरह की चिन्ता है कि कब उनके यहां पंचायत कायम होगा क्योंकि विकेन्द्रीकरण की बुराइयों से बचने का यह एक सहज रास्ता है। इसको आगे बढ़ाना है लेकिन पंचायत के सम्बन्ध में मैं जब देखता हूं कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खोखली है तो बड़ी निराशा होती है। स्थानीय करों के लगाने से झंझट होता है और इसके काम को बढ़ाने में हम परेशान रहते हैं। उड़ीसा और सौराष्ट्र की सरकार पंचायतों को सेल्स टैक्स के कुछ पैसे दे दिये हैं और उसी के बल पर पंचायत काम करती है और साथ ही-साथ स्थानीय करों से भी पंचायतों को काफी आर्थिक कठिनाई दूर हो जाती है। लेकिन हमारे यहां पंचायतों को सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिलती है। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सहायता देकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की स्थिति को संभालती है उसी तरह से पंचायत को भी सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री ने अपने बजट स्पीच में अकाल और रिलीफ के सम्बन्ध में कहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने ३०० लाख रुपये खर्च किया है, उसपर कटु आलोचनायें हुई हैं क्योंकि अगर ये रुपये विकास के कार्य में खर्च होते तो उन्नति होती राज्य की। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तकावी कर्ज बंटना भी शुरू नहीं हुआ कि दूसरी ओर वसूली पहुंच गई। हमारे वित्त मंत्री यह बात अवश्य जानते होंगे कि कोई आदमी शौक से कर्ज नहीं लेना चाहता है। कर्ज अगर वह नहीं चुका पाता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह नहीं देना चाहता है, बल्कि उसका अर्थ यह है कि वह ऐसी परिस्थिति में नहीं है कि वह कर्ज दे सके। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अनुभव अपने क्षेत्र के आधार पर है कि किस तरह से रिलीफ और कर्ज के रुपये बांटे गये हैं। जोनल मैजिस्ट्रेट को रिलीफ के लिये जो भी खर्च करने को मिलता है उसमें ऐसी नीति वर्त्ती जानी चाहिये जिससे सभी को एक अनुपात से सहायता प्रदान हो सके। एक जोन में अगर ४० हजार आदमी हैं तो जो कुछ भी वहां खर्च करना हो अनुपात से खर्च करना चाहिये लेकिन अध्यक्ष महोदय, रिलीफ का रुपया ऐसे काम

में खर्च हुए हैं जैसे उन बिल्डिंग को दिये गये हैं जो स्कूल, क्लब, लाइब्रेरी आदि कहे जाते हैं और इस पर २००–२५० मन अनाज खर्च किये गये हैं एक-एक के लिये और जब बिल्डिंग बनती है और उसमें जो मजदूर काम करते हैं उनको सवा सेर मिलता है और सब का भाउचर बनाकर रखा जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसमें सफलता नहीं मिली है।

अब अध्यक्ष महोदय, मैं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर से उनके विभाग के बारे में कुछ बातें कह देना मुनासिब समझता हूं। मैं यह नहीं कहता कि ट्रान्सपोर्ट को जनता के हाथों में दिया जाये लेकिन आज कल नागरिक शिक्षा का जहां तक सवाल है उसके अनुसार सरकार की छत्रछाया इसमें कम होना चाहिये ताकि ट्रान्सपोर्ट के काम करने वाले लोग अनुशासित रहें। जो सरकार की ओर से मोटर पर चलते हैं उनको ऐसा अनुभव करना चाहिये कि वे अनुशासित हैं और पब्लिक के लिये हैं। इतना ही मैं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारे सदन में कैरव जी शिक्षा प्रेमी हैं, एक कवि और साहित्यिक हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की कोई भी नीति शिक्षा के लिये नहीं है। जो शिक्षा प्रणाली, शिक्षा नीति अंग्रेजी राज्य में थी वही हमारी सरकार ने धारण कर ली है। गांधी जी का जो विचार शिक्षा के सम्बन्ध में था उसके अनुसार नीति नहीं अपनाई जा रही है लेकिन मैं कहना चाहता हूं उन शिक्षा के सम्बन्ध में सोचने वालों से कि वे क्यों नहीं स्कीम बनाकर उसके लिये आन्दोलन कर सरकार पर दबाव डालते हैं? अध्यक्ष महोदय, आजाद देश में शिक्षा का मानी है कि जो शिक्षा आजादी को टिकाने में सहायक हो वैसी शिक्षा का सुत्रपात हो लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि वे शिक्षा की नीति के सम्बंध में सोचें और उसके अनुसार काम करे।

इसके साथ-साथ सूबे के अन्दर जो लिखे-पढ़े लोग हैं या शिक्षा–पद्धति को चलाने वाले लोग हैं उनकी तरफ से कोई स्कीम होना चाहिए, कोई आन्दोलन होना चाहिए।

अब मैं सिंचाई मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूं। जब मैं उनका नाम लेता हूं तो वे सतर्क हो जाते हैं। हमलोगों को यहां आये ५ साल गुजर रहे हैं...

श्री चन्द्र शेखर प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक नम्र निवेदन है। आप देख रहे हैं कि सदन के लोग इस विषय पर बोलने के लिए कितना व्यग्र हैं ऐसी हालत में प्रत्येक सदस्य को १० मिनट से अधिक समय नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हम कल से देख रहे हैं कि जो सदस्य बोलने के लिए खड़े होते हैं वे ४५ मिनट से कम समय नहीं ले रहे हैं।

अध्यक्ष—जो सुझाव श्री चन्द्र शेखर प्रसाद सिंह ने पेश किया है उसको ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य जितना संक्षेप में बोल सकें बोलें।

श्री राम चरित्र सिंह—अध्यक्ष महोदय, मथुरा बाबू बहुत कम बोलते हैं। इसलिए जो सदस्य कम बोलने की चेष्टा करते हैं उनके साथ जरा रियायत करनी चाहिए।

अध्यक्ष—श्री चन्द्र शेखर सिंह का कहना उनके प्रति नहीं है। वे सबके लिए कह रहे हैं। (श्री मथुरा प्रसाद सिंह से) आप उन्हीं बातों को कहें जो जरूरी हों।

श्री मथुरा प्रसाद सिंह—तो मैं सिंचाई मंत्री से कह रहा था कि ५-७ लाख रुपया लगाकर उन्होंने लखनदेई को कोड़वा दिया। और कोड़वाना जरूरी था लेकिन वह सिंचाई के लिए नहीं, बल्कि मलेरिया को दूर करने के लिये। अब उस काम को शीघ्र पूरा कर देना चाहिए। राजखंड में स्लूइस गेट के लिए बराबर आश्वासन मिलता रहा है लेकिन अभी तक वह काम पूरा नहीं हुआ है। मेरे क्षेत्र में कोयलमन नदी है उससे पानी रुक गया है और वह पानी मेरे इलाके के लोगों के सिर पर चढ़ जाता है और लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। सरकार को चाहिए कि ऐसा प्रबन्ध करे जिससे उस इलाके के लोगों को पानी भी मिले और इस इलाके के लोगों को यह सर दर्द का कारण भी नहीं बने। कटरा थाने के लखनदेई स्कीम को पूरा कीजिए। बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि यह किया वह किया लेकिन अभी तक यह स्कीम पूरा नहीं किया गया है।

श्री राम चरित्र सिंह—मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुझे खबर है कि लखनदेई को साफ कर देने से वहां मलेरिया की शिकायत, जो वहां थी, वह बहुत कम हो गई है। राजखंड का भी आपने जिक्र किया है। मैंने अपने भाषण में पहले ही बतला दिया था कि वह स्कीम तैयार है और उसमें स्लूइस गेट बहुत जल्द लग जायगा।

श्री मथुरा प्रसाद सिंह—सिंचाई मंत्री के आश्वासन के बाद मुझे अब कुछ कहना नहीं है।

*श्री मुंद्रिका सिंह—अध्यक्ष महोदय, यह एप्रोप्रियेशन बिल, १९५६ जो पेश है उसका मैं विरोध करता हूं और मैं इसका इसलिए विरोध नहीं करता हूं कि इसमें एक अरब ३ करोड़ और कई लाख रुपये की मांग की गयी है, बल्कि मुझे खुशी है कि आज हम विकास योजनाओं की ओर, राष्ट्र-निर्माण की ओर कदम बढ़ाने के लिए इतना जागरूक हैं। पहले जहां इस राज्य का बजट ४ करोड़ का बनता था वहां आज १ अरब ३ करोड़ का बना है। यही इस राज्य के विकास का द्योतक है। मैं इस मांग से घबड़ा कर नहीं विरोध कर रहा हूं बल्कि विरोध इसलिए कर रहा हूं कि जब विकास कार्यों में इतने रुपये खर्च होने जा रहे हैं तो ऐसी अवस्था में मंत्रिगण को जितना जागरूक रहना चाहिए उसका हम अभाव पा रहे हैं। अक्सर मुझे देखने में आता है कि फाइलें मंत्रिगण के पास जाती हैं लेकिन फाइलों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना कि स्कूलों के पारितोषिक वितरणोत्सवों और दावतों

को दिया जाता है। इसके साथ-साथ बहुत ज्यादा खर्च हो जाया करता है। जब ये कहीं बाहर जाते हैं तो इनके साथ डी० एम० से लेकर बड़े-बड़े अफसर दौड़ते चलते हैं। जिले का कार्य रुक जाता है। अफसर इनके स्वागत में फंसे रहते हैं और ये मंत्रिगण जब घूम कर आते हैं तब सामने में फाइलों का बोझ देखकर उसे योंही बिना गम्भीर अध्ययन और चिन्तन के वापस कर देते हैं। इस तरह गणतंत्र नहीं ब्यूरोक्रेसी का बोलवाला हो जाता है। नौकरशाही का बोलबाला हो जाता है। ऐसी हालत में ऐसे मंत्रियों के हाथ में १ अरब ३ करोड़ रुपया दे देना उस पैसे के साथ खिलवाड़ करना है।

जहां-जहां वे जाते हैं उनके साथ-साथ डी० एम०, एस० डी० ओ०, ऐग्रीकल्चर औफिसर और इंजीनियर वगैरह भी परेशान रहते हैं। उनका काम बन्द हो जाता है। सारा काम अपसेट हो जाता है। आपलोगों के व्यक्तिगत कार्यक्रम के वजह से। ऐसी स्थिति में, ऐसी सरकार के हाथ में एक अरब तीन करोड़ और कई एक लाख रुपया देने में हमें खतरा मालूम होता है। इसलिये हम इसका विरोध करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बराबर भ्रष्टाचार की बातें कहीं जाती हैं। सरकार के कार्य बड़े पैमाने पर हो रहे हैं इसकी हम प्रशंसा करते हैं। लेकिन जहां पर बड़े जोरों से काम हो रहा है वहीं पर भ्रष्टाचार का भी काफी बोलबाला है। उस दिन हमारे सिंचाई मंत्री महोदय ने अपने भाषण के सिलसिले में एक दर्शन का दिग्दर्शन कराया था। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक लोग जीवन के सच्चे कामों का अनुभव नहीं करेंगे, तथा जब तक येनकेनप्रकारेण धनोपार्जन' की इच्छा रखेंगे, तथा 'जैसे हो धन लाओ और ऐश-आराम का जीवन व्यतीत करो' यह मनोवृति लोगों के अन्दर काम करती रहेगी। साथ ही अंत में एक बार नारायण का नाम लेकर सारा पाप दूर होने की बात सोचते रहेंगे तब तक इस व्यभिचार से ऊपर लोग नहीं उठ सकेंगे। यह एक मनोविज्ञानिक बीमारी है और जब तक यह बीमारी दूर नहीं होती तब तक भ्रष्टाचार समाप्त होने को नहीं है। इससे जनता पर आघात होगा, लोगों का विकास नहीं हो सकेगा। समाज के विकास के लिये हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्त्ति के लिये हमें किसी तरह से भ्रष्टाचार को रोकना ही होगा। जब तक मंत्री महोदय इसे हतोत्साह नहीं करेंगे तब तक मुझे आशा नहीं है कि यह चीज इस राज्य से हट सकेगी।

श्री गुप्त नाथ सिंह—अध्यक्ष महोदय, व्यभिचार शब्द का प्रयोग क्या सांसदीय कहा जा सकता है?

अध्यक्ष—इनका व्यभिचार शब्द कहने का मतलब भ्रष्टाचार से है।

श्री मुंद्रिका सिंह—माननीय सदस्य व्यभिचार शब्द से बहुत घबड़ा रहे हैं। जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका।

Shri RAM CHARITRA SINHA : Sir, I rise on a point of order. The other day I used the word "चोर की दाढ़ी में तिनका" which you were good enough to declare it as unparliamentary. I think the hon'ble member should withdraw this expression.

Shri MUNDRIKA SINGH : Sir, I withdraw it.

मैं यह कह रहा था कि इसके लिये सरकार को जितना जागरुक होना चाहिये उसका हम अभाव पाते हैं। आज ऊंचे स्तर पर भी फेभर होता है, जब तक आप स्वयं इस भ्रष्टाचार के दलदल से नहीं निकलते हैं, जब तक आप स्वयं इससे ऊंचा नहीं उठते हैं तब तक आप इसको नहीं रोक सकते हैं। पक्षपात का वातावरण तैयार करना, या किसी व्यक्ति विशेष के इंफ्लुएंस में आकर कुछ काम करना यह भी भ्रष्टाचार का एक अंग है। अगर सरकार इन सब अवगुणों से ऊपर उठ जाए तो भ्रष्टाचार को रोकने का यह पहला कदम होगा। जैसा कि आजकल सरकारी नौकरी की बहाली में आज देखा जाता है। बहाली में कई एक आइटम रहते हैं उन सबों का पालन नहीं होता है। सरकार को देखना चाहिये कि पहले-पहले जो आदमी नौकरी में आता है उस समय उसकी क्या अवस्था है और दस वर्ष के बाद उसकी क्या हालत हो जाती है। इस पर ध्यान देना निहायत जरूरी है। एक अफसर जो आज बहाल होता है वह कुछ ही वर्षों के बाद शहरों में मकान वगैरह बना लेते हैं अपने परिवार का भरण-पोषण करते हुए। इसपर सरकार को जांच-पड़ताल करनी चाहिये कि किस कारण से वह इतने ही दिनों में इतना आगे बढ़ गया है तथा इनकी माली हालत इतनी अच्छी हो गयी है। उनको तो अपने परिवार के भरण-पोषण के ~~[illegible]~~ बच्चों का अध्ययन वगैरह भी रहता है फिर भी वे एक ही नहीं दो-दो, तीन-तीन मकान बनाकर किराये पर चलाते हैं, सरकार को चाहिये कि समय-समय पर इसकी जांच किया करे और गड़बड़ी पाने पर उसको सजा दे। गत वर्ष भी मैंने बजट पर बोलते हुए इस चीज को हाउस के सामने रखा था। एक साधारण तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति ५० हजार का मकान बना लेता है और सरकार उससे पूछती भी नहीं है कि कहां से रुपया लाकर यह मकान बनाया गया है। ऐसा भी देखा गया है कि जिस आदमी को ५० रुपया वेतन मिलता है, ७० रुपया मिलता है, उसके पास भी शहर में लाखों तथा पचासों हजार का मकान है। सरकार इन लोगों से एक बार पूछती भी नहीं कि इसका क्या कारण है। इसलिये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिये मैं तो सरकार को ही दोषी कहता हूं। सरकार को इसकी जांच-पड़ताल करानी चाहिये और इसमें जो भी बड़े लोग तथा मिनिस्टर वगैरह पकड़े जायं उनसे जवाब तलब करती और कैफियत मागती लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है यह तो उसी तरह है जैसे "उघड़े अंत न होई निबाहू"। हम इसका बराबर विरोध करते हैं मगर फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

तीसरी बात मुझे स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करना था जो इस समय मौजूद नहीं हैं। मैं मेडिकल कॉलेज के सम्बन्ध में कुछ कह कर बैठ जाऊंगा। इस संबंध में मैं कुछ सुझाव आपके जरिये सदन के सामने रख देना चाहता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब में बहुत-सी सुधार की बातें कही थी और उनकी बातें सुनकर हमें उम्मीद भी बंधी थी। पटना जेनरल अस्पताल में प्रति दिन प्रति मरीज आठ आना खर्च किया जाता है। वहां के मरीज अन्न नहीं खाते बल्कि पैसा खाते हैं। मरीज दवा नहीं खाते बल्कि पैसा खाते हैं। वहां पर कुछ ऐसे मरीज भी हैं जिन पर एक दिन में दो-चार तथा १० रुपया तक खर्च होता है। इसका मतलब यही होता है कि जहां एक मरीज पर औसत खर्च आठ आना रखा गया है अगर किसी खास मरीज पर आप अधिक

खर्च कर देंगे तो बाकी मरीजों को उससे तकलीफ होगी यानी अन्न के बदले पानी पर रहना पड़ेगा तथा दवा भी नहीं मिल सकेगी। इसका कारण यह है कि आप तो टोटल खर्च दिखा दीजिएगा कि हमें इतना खर्च करना था और कर दिया लेकिन आपका ध्यान इस पर नहीं जायगा कि कितने मरीजों को एक के चलते तकलीफ हुई। अगर १०० का प्रबन्ध है आठ आने के दर से अगर आप दस रुपया या दो-चार रुपये के हिसाब से ५० पर ही खर्च कर देंगे तो बाकी को तो पानी पीकर ही संतोष करना होगा। उन्हें दवा भी नहीं मिल सकेगी।

डाक्टर की इच्छा होने पर भी, बीमारी के अनुसार जरूरत होने पर भी, चूंकि माप दंड आठ आना पैसा है, मरीज को उतना ही दवा के लिए मिलेगा। खाने के सम्बन्ध में पैसा ही खिलाया जाता है। १२ आना प्रति मरीज खाने के मद में पैसा है। अगर मान लीजिए आजकल संतरा सस्ता है तो १२ आने में ८ संतरे मिल जायेंगे लेकिन गरमियों में संतरा मंहगा हो जाता है तो उस वक्त दो ही १२ आने में मिलेंगे। तो कितना संतरा चाहिए इसका ख्याल नहीं करके १२ आने पैसे दिए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पैसे से खाना और मेडीशिन मापने की नीति गलत है। इसमें सुधार होना चाहिए। मरीज पैसे नहीं खाते, उनको दवा की जरूरत होती है। मरीज चांदी के गिलौरी नहीं खाते, उन्हें बीमारी के अनुसार पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, चाहे जो भी खर्च आपको करना पड़े। अगर एक अरब और तीन करोड़ पर आए हैं तो हमको स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है।

दूसरी चीज यह है कि अस्पताल में पेइंग वार्ड है। आज जो इसकी व्यवस्था है उसको एक सोशयलिस्टिक पैटर्न आॅफ सोसाइटी के अन्दर होना चाहिए। अगर सरकारी अफसर वहां जायं तो उनको ७ रुपया देना पड़ता है लेकिन दूसरा जाय तो उसको २२ रुपया देना पड़ता है। क्या यह बड़ी खाई कोई अच्छी बात है। आज जो मेडिकल एड के नाम पर बड़े-बड़े अफसरों को दवाइयां दी जाती हैं उनका दुरुपयोग होता है। मैं समझता हूं १०० रु० से ज्यादा तनखाह पाने वाले को किसी भी हालत में मुफ्त दवा नहीं मिलनी चाहिए। उनके घर में साले, बहनोई और भांजे भरे पड़े रहते हैं और दवाइयों का इस तरह दुरुपयोग होता है और दूसरी तरफ अस्पताल में पड़े हुए गरीब मरीजों को ८ आना मेडीशिन के लिए और १२ आना खाने के लिए दिया जाता है। जो दो हजार तनखाह पाता है वह अपने बच्चों के लिए दवा खरीद सकता है, हां १०० पानेवाला जरूर ऐसी हालत में है जो दवा नहीं खरीद सकता है और उसको मुफ्त दवा मिलनी चाहिए। जो पैसे इस व्यवस्था से बचें उनको उन मरीजों के लिए, जो आपकी उम्मीद पर अस्पताल में आते हैं और जिनकी उचित दवा और पूरा भोजन नहीं दिया जाता है, काम में लाना चाहिए। साथ ही साथ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए २, ५ और ७ रु० का पेइंग वार्ड बनाना चाहिए जिसमें मध्यवर्त्ती वर्ग के व्यक्ति विशेष रह सकें। आज हम एम०एल०ए० हैं २२ रु० देकर दवा करा सकते हैं लेकिन २ रु०, ४ रु० और ५ रु० आप रखेंगे तभी एक साधारण आदमी पेइंग वार्ड में रह सकता है। आप कह सकते हैं कि जो नहीं इतना दे सकता वह जनरल वार्ड में रह सकता है। लेकिन, जनरल वार्ड में एडमीशन का होना स्वर्ग पाने से भी कठिन है। भागवद् भजन से शायद स्वर्ग मिल भी जाय लेकिन अस्पताल में तो इंट्री तब तक नहीं हो सकती जब तक

बड़े डाक्टरों के चरण पर १६ रु० फीस न चढ़ाई जाय। क्या यह सबके लिए संभव है? नहीं, सबके लिए यह संभव नहीं है। तो, जनरल वार्ड में, अध्यक्ष महोदय, जगह नहीं मिल पाती। अगर २ रु०, ४ रु० आप रखें पेइंग वार्ड के लिए तो हो सकता है कि इन लोगों की भी गुंजाइश हो जाय। इसलिए मैं सरकार से दरखास्त करता हूं कि ऐसी व्यवस्था करे कि ७ रु० और २२ रु० की डिस्पैरिटी खत्म हो जाय और मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों के लिए २ रु०, ४ रु० के वार्ड बनाये जायं ताकि गरीब लोगों की भी गुंजाइश हो। यह शोश्यलिस्टिक पैटर्न की मांग है।

एक बात और मैं कहता हूं। हर व्यक्ति विशेष को जो वहां कभी गए हैं यह देखने को मिला होगा कि बरसात, गर्मी या जाड़ा सभी मौसम में वहां भर्ती होने के लिए आए हुए मरीज हजारों की तादाद में वृक्ष के नीचे, फुट-पाथ पर और सड़क के किनारे बैठे रहते हैं। लाखों रुपए खर्च करके आप वार्ड बना रहे हैं यह अच्छी बात है। लेकिन दो-चार हजार और लगा कर एक टिन का शेड इंतजार करने वाले रोगियों के लिए भी बना दीजिए ताकि उनको धूप, बरसात और शीत से बचने के लिए जगह हो जाय। अभी ये लोग भर्ती होने के लिए हजारों और लाखों की तादाद में यों ही बाहर बिना किसी तरह के साये के, धूप, गर्मी, जाड़ा, बरसात, सभी मौसम में पड़े रहते हैं। मैं सरकार से दरखास्त करता हूं कि इस ओर वह जरा ध्यान दे। जहां लाखों रुपए अस्पताल के लिए खर्च किया जा रहा है १०-२० हजार एक वेटिंग शेड या रूम बना देने में भी खर्च करने में कोई बड़ी बात नहीं हो जायेगी और गरीबों के लिए यह करना जरूरी है जो इतनी उम्मीद लेकर अस्पताल में भर्ती होने के लिए आते हैं।

यहां हमारे सिंचाई मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी दोनों हैं। मैं अब एक ऐसी बात की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं जिसको यूनिवर्सिटी से सम्बन्ध है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो स्पेश्यलिस्ट जिस चीज के लिए हो उसको उसी काम के लिए रखना चाहिए। लेकिन जनरल अस्पताल में जो पोस्टिंग हुई है उसमें इतनी बड़ी बंगलिंग है, इतना बड़ा अंधेर है और इतने जोरों का अन्याय चल रहा है कि अगर सारी बातों को खोलकर सदन के सामने रखा जाय तो बेहद उनको सुनकर तकलीफ होगी। मैं दो-एक उदाहरण देकर समाप्त करता हूं। डा० श्रीनिवास एक हार्ट स्पेश्यलिस्ट हैं, कार्डियालोजिस्ट हैं। उनको लेक्चरर मेडीशिन में बहाल किया गया है जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन को भी आपत्ति है इसलिए कि जो क्वालीफीकेशन उस पद के लिए है उसमें वे नहीं आते हैं। तिस पर भी उनको बहाल किया गया है और मेडीशिन के लेक्चरर की जगह पर रखा गया है। दूसरा केस है सरजरी के लेक्चरर की जरूरत है और उस पद पर डा० यू० एन० सिंह को रखा गया है। उनको गवर्नमेंट से स्कालरशिप मिला था और वे चेस्ट सरजरी का अध्ययन करने विदेश गए थे। वहां से चेस्ट सरजरी का स्पेश्यलिस्ट होकर वे आए लेकिन सर्जरी के लेक्चरर की हैसियत से काम कर रहे हैं। इसमें भी पब्लिक सर्विस कमीशन को आपत्ति हुई है लेकिन वे इस पोस्ट पर हैं।

सरकारी खर्च से वे लोग विदेश में पढ़ने के लिये जाते हैं और वहां से स्पेशलिस्ट बन कर आते हैं लेकिन वे स्पेशलिस्ट किसी चीज के बन के आते हैं और यहां पर

उनकी बहाली दूसरी चीज के लिये होती है। जिस तरह से इंजीनियर को दिहातों में और जिलों में भेजा जाता है उसी तरह से भी स्पेशलिस्ट को जिला और दिहातों में भी भेजना चाहिये। यह बात ठीक है कि अगर जरूरत हो तो उनको मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी रखा जा सकता है जहां पर रिसर्च करने के लिये काफी साधन उपलब्ध हैं। इस ओर हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री यानी दोनों मंत्री अपना ध्यान देंगे और अगर जरूरी समझें तो एक इंक्वायरी कमिटी बहाल करें जो इसका पता लगाये कि किस तरह की धांधली बहाली और पोस्टिंग के मामले में यहां के अस्पताल में हो रही है।

श्री राम चरित्र सिंह—कौन कर रहा है?

श्री मुंद्रिका सिंह—आपके डाइरेक्टर औफ हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल विभाग के

सेक्रेटरी और दस्तखत करने के नाते उसके मिनिस्टर कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिये।

इसके बाद एक दूसरी चीज की ओर मैं सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं। हमारे जिले में एक लेप्रोसी का अस्पताल था जिसको सरकार ने प्रोभिन्शियलाइज कर लिया है और अब इसका नाम इन्फेक्शन्स डिजिजेज हौस्पिटल रखा गया है। अब यहां पर २० बेड टी० बी० रोगियों के लिये भी रखा गया है। लेकिन आपको यह जान कर ताज्जुब होगा कि वहां पर कोई भी टी० बी० का या हार्ट का डाक्टर नहीं रखा गया है और न कोई इस रोग के स्पेशलिस्ट को ही वहां पर रोगियों को देखने के लिये भेजा गया है। अगर सरकार ऐसा नहीं करने को तैयार है तो इन २० बेड को किसी दूसरी जगह पर ट्रान्सफर कर दे जहां पर डाक्टरों का इंतजाम हो या जहां पर स्पेशलिस्ट का इंतजाम हो।

इसके बाद मुझे पैथोलोजी के बारे में कहना है। यहां पर एलोपैथी में दो चीज बहुत जरूरी है। एक तो पैथोलोजी और दूसरा एक्सरे और दोनों के लिये अस्पताल में एक ही जगह पर इंतजाम है जो बहुत ही नाकाफी है। किसी डाक्टर के पास किसी रोग को दिखलाने जाइये तो सबसे पहले उसको ४ या ५ तरह की जांच करानी होगी और इसके लिये मरीज को पैथोलोजी विभाग में जाना होगा। बड़े-बड़े सरकारी अफसर, एम० एल० ए० और मिनिस्टर से लेकर मामूली आदमी को भी इसी पैथोलोजी में जांच के लिये जाना पड़ता है। इसके चलते वहां पर बहुत काम है और काम ठीक से भी नहीं होता है। एक ही चीज के लिये जहां पर अस्पताल में जांच कराने से निल होता है वहां पर प्राइवेट क्लिनिक में जांच कराने से पोजिटिव हो जाता है। पूछने पर पैथोलिजिस्ट लोग यह कहते हैं कि उनको बहुत काम करना पड़ता है और इसलिये जल्द-जल्द करके वे किसी तरह से जांच के काम को खतम करते हैं। तो यह हालत है जेनरल अस्पताल की और इसके लिये मेरा सुझाव है कि पैथोलोजी के लिये वेटेरेनरी की तरह डिप्लोमा कोर्स खोलना चाहिये जिसमें पैथोलोजिस्ट की सेवा दिहातों तक भी उपलब्ध हो सके। अगर एलो-पैथी चिकित्सा ठीक तरह से चलानी है तो पैथोलोजिस्ट ज्यादा तायदाद में पैदा करने के लिये डिप्लोमा कोर्स खोलने की बड़ी आवश्यकता है। जब ज्यादा लोग इस डिप्लोमा

को हासिल कर लेंगे तो उनको थाना और दिहातों के अस्पतालों में भी जांच करने के लिये भेजा जा सकता है। आज कमी की वजह से पैथोलोजी में हरेक विभाग के लिये दिन का बंटवारा हुआ है कि फलां दिन फलां विभाग और जगह के मरीजों की जांच होगी। इसी तरह की बात एक्सरे विभाग में है। एक्सरे विभाग में भी दिन का बंटवारा है कि अमुक दिन को अमुक विभाग का एक्सरे किया जाता है। इस तरह से पैथोलोजी और एक्सरे विभाग में लोगों का अभाव है और इसमें स्टाफ बढ़ाने की ओर माननीय मंत्री का ध्यान जाना चाहिये। आज बड़े पैमाने पर चिकित्सा कराने के लिये लाखों रुपया खर्च करके राजेन्द्र ब्लौक बनाया जा रहा है लेकिन मैं तो सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इन दो विभागों को भी बढ़ाने की ओर अपना ध्यान दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री लूकस मुंडा—अध्यक्ष महोदय, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहां के लोग खेती पर ही जीते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इधर तीन वर्षों से दक्षिण बिहार में सूखा पड़ रहा है और खास कर छोटानागपुर और संताल परगना में इसका प्रकोप ज्यादा रहता है। वहां का इलाका पहाड़ी है और पानी के अभाव से वहां की खेती परती ही रह जाती है और जो आबाद भी होती है वह सूख जाती है। साल में वहां पर एक बार ही खेती होती है और उसके सूख जाने पर खेत साल भर परती रह जाती है। इसलिए हमारे देश में खेतीवारी करने के लिये पानी की बड़ी आवश्यकता है। हमारे सिंचाई मंत्री हमारे छोटानागपुर और संताल परगना के लिये कोई इंतजाम सिंचाई के लिये नहीं किये हैं। अभी जो बांध बंधवाये गये हैं फिर भी वह स्थान सूख जाते हैं क्योंकि बरसात में पानी कम होने से उनमें पटाने के लिये पानी जमा नहीं रहता है। इस तरह से बांध बंधवाने से लोगों को कोई फायदा नहीं होता है।

मेरा कहना है कि आप जो बांध बंधवाते हैं और अगर वह खजाना सूख जाता है तो ऐसा बांध बंधवाने से क्या फायदा होता है, मेरी समझ में नहीं आता है। एक पेलीख में बांध बांधा गया है जिसके कारण १४-१५ एकड़ जमीन डूब गयी है। तो मेरा कहना है कि बांध आप ऐसा बांधे जिससे लोगों को फायदा हो, जब नुकसानी ही होगी तो वैसा बांध न बांधना ही अच्छा है। कारो नदी में बांध बांधने से कई एक गांव डूब जायेंगे, लेकिन इसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती है और न बचाने का उपाय ही करती है। दूसरी बात यह है कि संथाल परगना में इरिगेशन का कोई प्रबन्ध नहीं है। जिसकी वजह से जब पानी सूख जाता है तो खेती करने में बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए मेरा सिंचाई मंत्री से अनुरोध है पहाड़ी इलाकों में छोटी-छोटी नदियों की जगह-जगह बांध दें और पानी जमा करने का उपाय करें। इसका नतीजा यह होगा कि जब वहां सूखा पड़ेगा तब उसके पानी से काम लिया जायेगा। दूसरी बात हमें जंगल के संबंध में कहना है। आप जानते हैं कि छोटानागपुर का जंगल करीब-करीब अब तो खतम ही हो गया है, लेकिन जो भी बचा हुआ है उसमें से गरीबों को लकड़ी लेने की इजाजत नहीं दी जाती है। अगर कोई लकड़ी लेने जाता है तो उससे फौरेस्ट गार्ड लोग पैसा ले लेते हैं तब उसको लकड़ी देते हैं जब कि सूखी लकड़ी जलावन के लिये लाने का इजाजत है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार एक लकड़ी का गोला या दुकान बना दे जिससे

गरीब लोगों को हाल, जुवट, काठ वो लकड़ी उचित दाम पर मिल जाय। एक बात श्रौर है कि वहां के गरीब लोगों को घर बनाने के लिए भी लकड़ी मिलने म दिक्कत होती है, इसलिए सरकार को ऐसा प्रवन्ध करना चाहिए जिसमें गरीबों को घर बनाने के लिए भी लकड़ी मिल जाय। तोसरी बात हम शिक्षा के वारे में कहनी है। हमारे यहां शिक्षा की वहुत कमी है श्रौर जितने भी स्कूल चल रहे हैं उसमें मास्टरों का तलब ठीक समय पर नहीं दिया जाता है। मौजा कदमा थाना, जिला रांची के स्कूल के मास्टरों को सिर्फ डी० ए० मिलता है श्रौर तलब नहीं मिलता है तीन-चार सालों से। हमने इसके लिए प्रश्न भी यहां पर किया था, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुश्रा। इसलिए मेरा शिक्षा मंत्री से श्रनुरोध है कि मास्टरों को तलब दिलाने पर ध्यान दें श्रौर तलब दिला दें। श्रब में मेडिकल के बारे म कहना चाहता हूं। श्रध्यक्ष महोदय, हमारे यहां शहरों में एक श्रस्पताल है, लेकिन देहातों में एक भी श्रस्पताल नहीं है।

श्रध्यक्ष—श्रब तो श्रस्पताल देहात में ही खोले जायेंगे।

श्री लुकस मुंडा—इसलिए मेरा कहना है कि देहातों के लिए कम से कम मोबाइल डिसपेन्सरी का इन्तजाम कर दे जिससे लोगों को दवादारू समय पर मिल सके नहीं तो कविराजी या श्रायुर्वेदिक दवा का इन्तजाम किया जाय। हमारे यहां मवेशी का श्रस्पताल सिर्फ खुंटी वो बुन्डु में है देहात के लिये कोई दवा का इन्तजाम नहीं है। श्रगर किसी पशु को कोई बीमारी हो जाती है तो उस पशु से काम नहीं लिया जा सकता है श्रौर लोगों को खेतीबारी करने में दिक्कत होती है। इसलिए मेरा श्रनुरोध है कि इनके लिए भी श्रस्पताल का प्रबन्ध कर दें। श्रब में पी० डब्लू० डी० के बारे में कहना चाहता हूं। पी० डब्लू० डी० में जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी तनख्वाह वो बढ़ती वेतन समय पर नहीं मिलता है। इसलिए मेरा श्रनुरोध है कि उन कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह दिलाने का प्रबन्ध करें। एक बात में श्रौर बाजार के संबंध में कह देना चाहता हूं। बाजारों में ठीकेदार लोग हाट वसूलने में बहुत जबर्दस्ती करते हैं। इसलिए मेरा श्रनुरोध है कि इस हरकतों को रोकने के लिए एक विजिलेन्ट कमिटी बहाल कर दें जिससे इस प्रकार के हरकतों से वे गरीव लोग बच जायं। इतना ही कह कर में वैठ जाता हूं।

***Shri BRAJNANDAN SINGH** : Mr. Speaker, Sir, after catching your eye after a pretty long time, I feel a little difficulty in giving expression to all my ideas and suggestion in the short space of a few minutes—ideas and suggestions that come crowding to my mind seeking expression all at once and you will kindly excuse me if I am sometimes a little incoherent in my speech.

श्रध्यक्ष—जरा श्राप बैठ जायं। सभा नियमावली के नियम १६० के श्रनुसार पहले के श्रादेशों को रद्द करते हुए में यह घोषित करता हूं कि ऐप्रोप्रिएशन बिल

नं० १ आज तिथि २२ मार्च १९५६ को ५ बजे समाप्त किया जायेगा और कल तिथि २३ मार्च १९५६ को अनुपूरक मांगों पर वाद-विवाद और मतदान ५ बजे समाप्त होगा और उसके बाद ५।। बजे तक ऐप्रोप्रिएशन बिल नं० २ समाप्त होगा।

Shri BRAJNANDAN SINGH : Mr. Speaker, before I talk of other things I would like to draw the attention of the Finance Minister to a little defect I observe in the Financial Statement that is being given to us for the last two years. In previous years we used to get a graphical representation of revenue and expenditure supplied by the Central Bureau of Economics and Statistics, Bihar, as well as those of the Finance Department. This was of immense help to those of us who are no experts in the art and science of Public Finance. We could know at a glance the ups and downs of our budgetary position. This has been discontinued to our great disadvantage. I would request the Ministry to re-introduce it. I am in a difficulty Sir, what to speak first, whether I should talk of the past or the present or of the future. Standing on the threshold of the Second Five-Year Plan I am naturally tempted to look and talk of the future than of the present. I would like to take up the present at the end of my speech. First I would talk of the planning of the welfare of the suppressed population.

The next thing I would like to point out to the Ministry is that it would have been more appropriate to levy a cess for the purpose of the uplift of the submerged section of our society—the scheduled castes and scheduled tribes—rather than for the purpose of expanding primary education. So long as we are not making primary education compulsory, there is likelihood of a certain unwillingness being shown in making payment by the poorest section of our society as they do not hope to get benefit immediately by the present scheme. All the cess will be utilised for the benefit of the richer classes who are keener on taking advantage of the educational facilities than the members of the scheduled castes and backward classes. The other cess suggested by me will be more attractive. The higher castes will feel proud of their own contribution to the uplift of the depressed classes and the latter will legitimately take pride in this contribution for self help.

I am a little surprised at the estimated income from the Education cess made by the Finance Ministry. If we call for anna in a rupee it is really amusing how a total expected income of about 8 crores of rupees from land revenue will give an income of one crore of rupees. I think it would be about fifty lacs only. However, since the Government have introduced the levy and our present position is that with all our expenditure on this account we are providing facilities to only one thousand of our boys of the school-going age, we have to provide for extra money. But in this

case I would request the Government to start with compulsory primary education in some selected area as an earnest of our desire to fulfil our obligation as stipulated in the constitution *i. e.*, to take all such boys in our schools by 1962.

Since I have started with education I would like to suggest something about the reorganisation of Government High Schools also. They are run at a comparatively high cost. I would suggest that engineering and other technical subjects be introduced as additional subjects and the old traditional subjects be taught in private institutions. With their large building and equipments the Government will be easily in a position to give a technical bias to our Secondary teaching.

Now I would like to say something of the Medical facilities in the rural areas. We are planning to provincialise all hospitals and District Board dispensaries. I disagree with this scheme. There seems to be a craze to provincialise every thing. I know, Sir, that there is such a dispensary at my place. The District Board pays nearly one to two thousand rupees monthly as the establishment charges while the cost of medicine supplied is Rs. 50 per month only. Even if the cost of buildings and equipment is not taken into account the cost of these is out of all proportion to the services received. Besides all these doctors, as soon as they become Government servants completely change their outlook and become discourteous to the patients and their relations. Certainly the State should not upgrade and pay them for such conduct to our people. I would , therefore, suggest that it is cheaper to subsidise dispensaries in the rural areas than to open government hospitals and dispensaires at huge costs. The Government can afford to subsidise more doctors for moving to the countryside. In order to draw more doctors in the interior I would request the Government to explore the possibilities of subsidising Pathologists settling in distant places, say at a distance of 10 or 15 miles apart. They are to be available to 3 or 4 doctors subsidised by the State. They may be paid a sum of rupees 300 or more with a guarantee of help from Government subsidised doctors. Allopathic treatment inevitably needs these tests and this scheme will relieve the rush to towns for pathological tests and draw more allopathic doctors to the interior. It would be cheaper to and would make for better treatment of patients than is available under the present scheme.

With the rapid progress made towards socialisation of land, big land-owning classes are disappearing and we are moving towards a society of a smaller and medium peasants. The scale of mileage permissible to doctors may kindly be revised. It is a handicap to poor people utilising the services of our doctors and needs immediate attention.

We hear complaints regarding the Patna General Hospital's administration. It would be advisable to have a big hospital only for the residents of Patna town and the district who could go for treatment and relieve the pressure there which has to cope with special cases as well as to offer facilities for studies. I hope this will also receive the attention of the Government.

I know, Sir, the time at my disposal is short and many of my friends are impatient to make their own submissions. I would seek your indulgence for a few minutes only.

We have been hearing all sorts of complaints of corruption and bribery against the low grade staff. I believe, Sir, that so long as our people in the interior are poor and ignorant this state thing will continue, in spite of our best efforts. We are making rapid progress towards the socialisation of land and hope to put a small part but in all hands. This together with social consciousness will have a restraining influence. I give a priority to the re-orientation of our policy of recruitment at least in class IV of our services. It would not do to reserve 12 or 13 per cent of these posts for the scheduled tribes and scheduled castes. A much higher percentage of them should be recruited here. I believe Sir that if we are out to relieve liabilities from this land, we must appoint the Harijans from their degrading enviorument. They must be offered services to attract them towards towns. They must be established in small groups near towns and offered incentives to rush towards small and medium industries suiting their tastes. Keeping them in the villages, whatever their allurements, cannot bring about a change in their outlook or in the attitude of the higher castes. We may move from one Five-Year Plan to another but untouchability and the attitude of the higher classes will remain. I would, therfore, endorse a scheme of migration and better jobs suiting their capacity.

This then brings me to a more distressing aspect of our social life. Sir, the more degrading thing in our life is the habit of taking service of a man to carry human excreta of another human being on his head. I wonder why eradication of this evil, this degrading occupation has not received the attention of our planners. If it is degrading for a man to carry hunan being in a rickshwaw—an occupation we wish to ban—how much degrading, how much dehumannising is this occupation which meets our eyes in towns and villages. All muncipalities should be compelled to introduce a sewerage system helping the flushing system as we have seen in Patna. We are helping them to supply drinking water to all their residents and I think it is imperative that we should help them whatever the amount involved in the course of years to come to end this cruel system. A time limit may be fixed within which they must be asked to

complete the scheme or be superseded. In villages also such a time limit should be fixed for individuals. They should be asked to take to the use of trenched latrines, pithole and borehole latrines or septic tank latrines and in the meanwhile made to pay adequate by in cash to the Mehtars and not in kind or land, so as to enable them to attain a standard of average citizen. This is imperative if we dream of establishing equality of man.

Now Sir, there is no future of Bihar if we do not industrialise the State at a greater pace. In this respect I would like to appeal to the two Ministers of my own district to move at a much faster pace than what they have done so far. It is a poor State with no capital. We have to go in for great expansion of small and medium industries. Co-operative Minister has to move fast to organise those interested in those industries. It is he who can enable us to take advantage of the finance offered by the Governments here and at the Centre. The progress made so far is unsatisfactory. We, of North Bihar have not much scope for big industries. There is a scope of a Jute factory near Chaika, where lakhs of maunds of good jute is produced and sent to Calcutta. Surprisingly it is of such a good quality that traders of Pakistan jute take it to Calcutta and sell it as Pakisatan jute at a higher price than the Bihar and U. P. jute. A co-operative factory could be established here much to the advantage of the people of Champaran and west Muzaffarpur who produce jute of this high quality.

Talking of industry I am painfully reminded of our present lot. It occurs to me sometimes that we of this State have been Indians too long and there is need for us to be a Bihari now. Bihar has been reduced to the State of being the dumping ground of outside capital. I know the difficulty of this Government so far as the control regulation of large industries are concerned. I, know also Sir, that the Indian Government have an industrial policy. They regulate the establishment of private industry by foreign agency in a particular manner. They try to induce these agencies to accept our nationals as partners and allow recruitment of specialists and experts only from outside and put pressure on them to recruit as many of our nationals as are available here. Similar policy has to be adopted here also. We should try to persuade outside capital to come here also. We should offer all reasonable facilities but at the same time we should ask them to accept as partners, residents of this State and must control their recruitment of employees on the same principles as we do here. This permits of no relaxation, if we want a peaceful progress, We know how we have been losing a lot of our share of income tax as these agencies have their headquarters outside and we should be careful now.

Now this Second Five-Year Plan envisages industrial Estates. Steps should be taken in this direction. Our Industrial Minister should also move fast to organise small scale industry in which we of North Bihar are most interested. In this connection I would request the Government to make electricity in North Bihar cheaper and exempt it from Sales Tax. Electricity in North Bihar is sold for 7½ annas per unit and one pice per unit of Sales Tax makes it nearly 8 annas per unit when it is 1½ annas to 2 annas near Calcutta and other towns. We are establishing saw mills and other such industries and we deserve help to better our standard of living.

Coming to our local problems I would draw the attention of House to one glaring omission made by the Government. In the previous Assembly a motion was unanimously adopted asking the State Government to recommend to the Central Government a scheme to connect Hajipur with Bettiah by railway along the Gandak. It is surprising to say that no step has been taken in this connection and now that the voice of the State Government carries more weight the Government have not thought it proper to recommend such a proposal. It is common to see a metalled road together with a Railway line running along the Gandak in Saran on the right side of the river whereas here not even a metalled road is thought of. The backwardness of this area is primarily due to this one factor. We have to traverse two or three times the shortest route to Patna in the absence of this means of communication in spite of repeated requests made to the Public Works Department.

Before I close, Sir, I would draw the immediate attention of the Government to the law and order situation in this area. It is painful to say that though a man was shot dead at Mahdeiya in my thana no one was arrested and tried. At Rampur in Kesariya one man was shot dead and another injured by gun-shot, but no man was arrested or any other action taken. Similar occurence in Baruna thana met with the same fate. There is some improvement in the situation now, thanks to a liberal issue of fire-arms licenses, but the Government have to be very vigilant. We feel that life, liberty and honour of citizens have lost their worth between the two contending sides, the anti-social elements and the Police and no one thinks himself secure. I would request the Government to be careful and watchful. With these words, Sir, I support the motion before the House.

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया।)

*श्रीमती प्रभावती गुप्ता—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए चन्द बातों को कहना चाहती

हूं। उपाध्यक्ष महोदय, किसी गणतंत्र राज्य में और स्वाधीन राज्य में सबसे प्रमुख समस्या है जैसा कि वेदों में कहा गया है:

"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माकश्चित् दुःख भागभवेत् ।।"

मतलब यह है कि हरएक आदमी को सुख का कारण होना चाहिए और किसी भी मनुष्य को दुख का भोगी नहीं होना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है:

"दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज काहु हि नहीं व्यापा ।।"

लेकिन आज जो हालत जन स्वास्थ्य की गांवों में है उसकी ओर आपका ध्यान ले जाना चाहती हूं। मैं आज आपके द्वारा यह बता देना चाहती हूं कि आज पटने और दरभंगे में बड़े-बड़े सर्जिकल वार्ड खोलते जा रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान ग्रामीण जीवन की तरफ जाते हुए भी क्या ग्रामीणों के स्वास्थ्य की तरफ है? मैं अपनी सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि क्या कारण है खुले हुए शुद्ध वायु और स्वास्थ्यकर प्राकृतिक वातावरण में रहने पर भी हमारे ग्राम के बालकों के चेहरों पर वह प्रसन्नता, वह प्रफुल्लता नहीं देखने में आती जो बड़े-बड़े नगरों में बालकों के चेहरों पर देखने को मिलती है? हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय ने चिकित्सा संबंधी मांग को पेश करते हुए कहा था कि जितनी रकम १९५१-५२ में खर्च की जाती थी इस मद में उसकी दुगनी आज १९५६-५७ के लिए दी जाने वाली है। लेकिन आज, उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी रकम चिकित्सा के लिए दिए जाने पर भी ग्रामीणों के स्वास्थ्य की हालत दर्दनाक है। इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री का ध्यान महिलाओं के स्वास्थ्य की तरफ ले जाना चाहती हूं। आज महिलाओं की वे महिलायें जो राष्ट्र का निर्माण करने वाली हैं, स्वास्थ्य की हालत क्या है? मैथलीशरण गुप्त जी ने कहा है:

"नारी जन्म की दुर्दशा हमसे कही जाती नहीं,
लज्जा बचाने को अहा वे वस्त्र भी पाती नहीं,
जननी पड़ी है और शिशु उसके वदन पर मुख धरे,
देखा भला है ।कन्तु वे मां पुत्र दोनों ही मरे।"

आज चारों तरफ हम ग्रामों में देखते हैं कि माता अपनी गोद में बच्चा लिए हुए है और दोनों के स्वास्थ्य का भयानक दुदशा है। क्या कुछ प्रसूति केन्द्र खोल देने से महिलाओं का स्वास्थ्य सुधर जायगा?

चिकित्सा मंत्री जी ने बतलाया है कि दूसरी पंच-वर्षीय योजना में प्रसूति और शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना होने वाली है। यह जानकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई और मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी को वधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने यह बतलाया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में वे ५० केन्द्रों की स्थापना करने जा रहे हैं। यह काम अत्यन्त वधाई के पात्र है इसमें कोई संदेह नहीं लेकिन यह संख्या उस नकल की जैसी है कि सागर के अथाह जल में एक बुन्द। मैं अपने

स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि कम से कम दो स्थानों के बीच एक प्रसूति-केन्द्र और शिशु कल्याण-केन्द्र की स्थापना करें जिससे इस समस्या का समाधान हो सके और महिलाओं की गिरी हुई स्वास्थ्य की दशाओं में उन्नति हो सके। इसके साथ ही साथ मैं चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान चम्पारण जिला के केसरिया थाने की ओर ले जाना चाहती हूं, वहां की आबादी करीब दो लाख की है और मैं चाहती हूं कि एक प्रसूति केन्द्र और एक शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना की जाय। वहां की जनता भी इस काम में जन सहयोग देने के लिए तत्पर है और मैं उनकी ओर से जन सहयोग के लिए आपको आश्वासन देती हूं। इसके साथ-साथ केसरिया थाने के पटवा ग्राम की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहती हूं। आज से करीब एक वर्ष पहले हमारे राजस्व मंत्री वहां गये थे और उन्होंने ग्राम के अन्दर फैले हुए राजयक्ष्मा और कोढ़ के रोगियों को देखा था। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाहती हूं कि चिकित्सा मंत्री जी को कई पत्र लिखने पर भी आजतक उस गांव में इन रोगों के रोकने का कोई इन्तजाम नहीं किया गया और राजयक्ष्मा के रोगियों संख्या दिन व दिन बढ़ती जा रही है। कई बार ग्राम पंचायत के द्वारा आई०-जी० आफ हौस्पिटल्स के पास पत्र लिखा गया लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान उस गांव में बढ़ते हुए रोगों की ओर ले जाना चाहती हूं और आशा करती हूं कि और आशा के साथ-साथ मैं विश्वास करती हूं कि हमारी सरकार यथाशीघ्र इन बीमारियों से ग्रस्त लोगों के दुखों को दूर करेगी और गांव के लोगों को बचाने की कोशिश करेगी।

इसके साथ-साथ मैं दो-तीन बातें सिंचाई के संबंध में भी कहना चाहती हूं। हमारे सिंचाई मंत्री ने सिंचाई विभाग के संबंध में अनुदान की मांग सदन में रखते हुए कहा था कि चन्द वर्षों में हम बिहार प्रान्त की तमाम भूमि को हरी भरी बना देंगे। मुझे उनपर नाज है और यह सुनकर हमें आशा हो जाती है कि हमारी राज्य सरकार सदन के बीच जब इस तरह का आश्वासन देती है तो इससे यह जाहिर होता है कि हमारे माननीय मंत्री का ध्यान इसकी ओर है। मैं अपने मंत्री का ध्यान अपने थाने की ओर ले जाना चाहती हूं और यह बतलाना चाहती हूं कि आज से कई वर्ष पहले केसरिया थाना में ड्रेनेज प्रोजेक्ट के कारण जो बर्बादी हुई उसको रोकने के लिए उनके सम्मुख जो सुझाव पेश किए गये उसकी ओर शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक प्रश्न के जवाब में आज से एक वर्ष पूर्व उन्होंने बतलाया था कि एस्टीमेट मांगा गया है, एस्टीमेट आ जाने पर इसका प्रबंध किया जायगा। एस्टीमेट मोतीहारी के एक्जीक्युटिव इंजीनियर ने भी दे दिया, लेकिन इस सिलसिले में सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। यह योजना बहुत ही सुन्दर योजना है और इसके तैयार हो जाने से यह राष्ट्र के लिए एक बड़ी चीज हो जायगी इसलिए मैं सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि केसरिया टाउन ड्रेनेज प्रोजेक्ट के दोनों तरफ ६ इंच का बांध बनाया जाय। इसमें करीब दो लाख रुपए की लागत लगेगी और इससे १५ हजार एकड़ जमीन की फसल जो पानी के आ जाने से बर्बाद हो जाती है वह आबाद हो जायगी।

एक बात मैं गंडक योजना के संबंध में कहना चाहती हूं। गंडक योजना के संबंध में हमारे सिंचाई मंत्री ने आश्वासन दिया है कि असेम्बली के कार्यकाल के अन्दर इसका कार्यक्रम पूरा कर लेंगे। इस तरह के आश्वासन बराबर असेम्बली में बहुत दिनों से मैं सुनती आई हूं। आज सौभाग्य से हमारे मुख्य मंत्री जी भी सदन में

आये हुए हैं इसलिए मैं उनसे और सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि यथाशीघ्र गंडक योजना को कार्यान्वित करें। यह एक महत्वपूर्ण योजना है जिससे ३० लाख एकड़ जमीन की आवादी होगी और ३२ करोड़ इसमें लगेगा। इस नदी से चम्पारण, सारन, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिला के लोग चिन्ताग्रस्त रहते हैं। इस नदी का कटाव ऐसा निराला है कि इसके कारण हजारों किसान बेघर और भूमिहीन हो जाते हैं। बाढ़ का पानी किस भयानकता से दौड़ा करता है यह सर्वविदित है। सिंचाई मंत्री जी आश्वासन देते हैं लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि सिंचाई बजट में गंडक योजना के लिए जो २ लाख की रकम रखी गई है यह नगन्य है। इतनी छोटी रकम रखने की वजह से हमें विश्वास नहीं होता कि हमारी सरकार इस योजना यथाशीघ्र कार्यान्वित करने के लिए वैसी ही सचेष्ट है जैसी दूसरी योजनाओं के संबंध में है। हां कोसी योजना के लिए सरकार बधाई के पात्र है। उपाध्यक्ष महोदय, कहावत है कि "दूध का जला मट्ठा फूंक-फूंक कर पीता है।" लोग पीड़ा से कराह रहे हैं तो ऐसे आश्वासन आप कितने दिनों तक देते रहेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी से और सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि उनलोगों की पीड़ा को देखते हुए जल्द से जल्द गंडक योजना कार्यान्वित किया जाय और साथ ही साथ में यह निवेदन करूंगी कि इस बात की घोषणा भी कर देना चाहिए कि किस तारीख से आप इस योजना को कार्यान्वित करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-चार बातें उद्योग के संबंध में कहना चाहती हूं दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्रांति करना है। हमारे प्रधान मंत्री ने भी यह कहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्रांति एक नयी क्रांति होगी, नये ढंग की क्रांति होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र के लिए राजनैतिक सत्ता और आर्थिक आधार के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उस राज्य के औद्योगिक साधन क्या हैं इस पर विचार हो। विहार राज्य में दूसरे राज्यों के बनिस्पत बहुत तरह के औद्योगिक साधन हैं जो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। विहार के अन्दर ताम्बा, मैंगनीज, कोयला, अब्रख वगैरह, वगैरह बहुत तरह के खनिज पदार्थ हैं और वे अधिक मात्रा में मिलते हैं। हमें विश्वास है कि इन साधनों का समुचित्त रूप से उपयोग किया गया तो बिहार राज्य जो आज और राज्यों से बहुत पिछड़ा हुआ है शीघ्र ही शक्तिशाली और सुन्दर प्रान्त के रूप में परिणत हो जायगा। मैं आंकड़े के आधार पर यह बतलाना चाहूंगी कि इतने औद्योगिक साधनों के रहते हुए भी हमारा बिहार किस तरह पिछड़ा हुआ है।

बंगाल में १,२१८ कारखाने हैं और उनमें ४,७५,११५ मजदूर काम करते हैं।

बम्बई में ९५९ कारखाने हैं और उनमें ४,६८,११४ मजदूर काम करते हैं।

मद्रास में १,२४४ कारखाने हैं और उनमें १,३५,२६६ मजदूर काम करते हैं।

उत्तर प्रदेश में ५५९ कारखाने हैं और उनमें १,४४,१८८ मजदूर काम करते हैं।

और बिहार में ३१६ कारखाने हैं और उनमें ७८,२९९ मजदूर काम करते हैं।

हमारी सरकार उद्योग के रूप में बिहार का विस्तार करने का प्रयास कर रही है और करने जा रही है। मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि कुछ दिन

पहले अखबारों में निकला था कि यहां पर प्लास्टिक का कारखाना खोलने के लिए विदेशी फर्म ने मंजूरी मांगी है और सरकार ने मंजूरी नहीं दी। इस कारखाने के खुलने से बिहार की आर्थिक उन्नति होती और यहां की बेकारी की समस्या का कुछ समाधान होता, और इस कारखाने में तीन-चार हजार मजदूरों को रोजी मिलती। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई विदेशी फर्म अपनी पूंजी से यहां कारखाना खोलना चाहे तो उस वक्त आपको सोचना चाहिये कि इससे बेकारी की समस्या का हल होगा और साथ ही आर्थिक हालत भी सुधरेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब चीनी मिल की ओर सरकार का ध्यान ले जाना चाहती हूं। चीनी यहां का बड़ा प्राचीन उद्योग है और भारत वर्ष में सबसे पहले बिहार में ही चीनी की मिलें बनीं थी। आज बिहार राज्य में करीब ३६ चीनी मिलें हैं और चम्पारण में ९ हैं। चम्पारण की चीनी मिलों से सरकार को काफी आमदनी होती है लेकिन सरकार ने चम्पारण की सड़कों का सुधार अभी तक नहीं किया है। मैं अपने जनकल्याण विभाग के मंत्री और मुख्य मंत्री का ध्यान चकिया चीनी मिल क्षेत्र की तरफ ले जाना चाहती हूं। उस मिल के आस-पास जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां ऊख की खेती बड़ी तादाद में होती है लेकिन वहां की सड़कों की हालत बहुत ही दर्दनाक है। किसानों को अपना ऊख मिलों में पहुंचाने में बड़ी दिक्कत होती है। यातायात की असुविधा के कारण वहां के किसानों को बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। इतनी मोटी रकम उन किसानों के द्वारा सरकार को मिलती है अतः सरकार को यथाशीघ्र वहां की सड़कों की हालत सुधारनी चाहिये। केसरिया क्षेत्र को लीजिए, वहां एक स्तूप है जो धार्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व रखता है अतः वहां दो-चार सड़कों का बनना सरकार के लिये बहुत ही आवश्यक है। और मैं उम्मीद करती हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कम से कम एक सड़क का निर्माण सरकार अवश्य करेगी जो चकिया से होती केसरिया होती हुई सत्तरघाट को जाती है। इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री शुकरा उरांव—अध्यक्ष महोदय, मैं ऐप्रोप्रिएशन बिल का विरोध करते हुए दो चार शब्दों में आपका ध्यान छोटानागपुर के शिड्यूल एरिया की ओर ले जाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि बिहार में खास कर छोटानागपुर और संथाल परगना का इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ है और वहां के कुछ क्षेत्रों को शिड्यूल एरिया माना गया है और संविधान में भी १० वर्षों तक वहां पर ऐसे काम करने हैं जिनसे वहां की जनता का स्तर अन्य उन्नत क्षेत्र एवं समाज के समकक्ष हो सकें। उपाध्यक्ष महोदय, हमें दुख होता है कि उस इलाके की ओर खास कर वहां की जो पिछड़ी जनता है सरकार ने उत्थान करने के प्रयास की ओर खास ध्यान नहीं दिया है। आज दुख होता है यह देखकर कि जो छोटी सी अवधि वहां की जनता की उत्थान के लिये दी गई है, उसका भी सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया गया है। यों तो कहा जाता है कि वहां पर उत्थान के लिये बहुत से रुपये खर्च किये जाते हैं और उत्थान के कामों में जोर दिया जा रहा है मगर आप अपने सीने पर हाथ रखकर देखें तो आपका अन्तःकरण इस बात की गवाही देने से इंकार नहीं कर सकता कि वहां की जनता अभी तक अन्य उन्नत क्षेत्र एवं समाज के समकक्ष नहीं आ सकी है और आप की सहानुभूति नहीं रही

है। इस अधिवेशन के आरम्भ में मुझे एक बार और अपना विचार रखने का मौका मिला था और उस वक्त भी मैंने कहा था कि सरकार वहां की जनता की ओर ध्यान नहीं देती है। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे और सारी दुनियां भी जानती है कि उन पिछड़े लोगों पर काफी रुपये खर्च किये जाने की बात कही जाती है और अखबारों और कागजों में बड़ी-बड़ी स्कीम बताई जाती है मगर आप वहां जाकर देखें तो पता चलेगा कि वहां की जनता की क्या हालत है? आप देखेंगे कि अभी भी अनेकों गांव के गांव में एक भी शिक्षित आदमी आपको नहीं मिलेगा। यह कहना कि आदिवासियों में सभी कोई एकदम पिछड़े हैं इसे मैं नहीं मानता। पर कुछ लोग शिक्षा की ओर ध्यान दिये और आगे बढ़ भी रहे हैं। वहां शिक्षा का अभाव है जिससे वे अपने को उन्नति करने का अवसर नहीं प्राप्त कर पाते हैं। आपने उस पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार की ओर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया है। आपने आदिमजाति सेवा मंडल के हाथ में जो एक गैर-सरकारी और गैर-जिम्मेवार संस्था है वहां की शिक्षा का भार दिया है लेकिन उनकी नीति क्या रही है? हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह संस्था राजनैतिक खेल में ज्यादा समय नष्ट किया। जिसका नतीजा यह हुआ कि जो काम उसको दिया गया वह नहीं हो पा रहा है। उस संस्था के कर्मचारी तो हर वक्त इसी चिन्ता में रहते हैं कि वहां जो मिशनरी और राजनैतिक पार्टियां हैं उनसे किसी प्रकार कम्पेटीशन करें और इसका नतीजा यह हुआ कि जो सेवा पिछड़ी जनता की होनी चाहिये थी वह नहीं हो पा रही है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह वहां पर किसी तरह से शिक्षा का अच्छा प्रचार और प्रबन्ध करे ताकि उनलोगों की सही माने में उन्नति हो सके। जो पिछड़े हैं तथा उन्हें उन्नत समाज के स्तर पर आ सकने का मौका मिल सका है उससे लाभ उठावें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें दुख होता है इस बात को देखकर कि १० वर्ष का जो सीमित समय उनके उत्थान के लिये दिया गया है वह १९६० में खत्म हो रहा है और अभी तक उस पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्र की उन्नति हो नहीं सकी है। अब देखना है कि वास्तव में वे लोग उन्नत हुए हैं या नहीं। हमें देखना और विचार कर न्याय करना होगा कि जितने रुपये हम उन पर खर्च कर सके हैं उससे उनकी उतनी सेवा और उन्नति वास्तव में हो सकी है और उतना वे उठ सके हैं या नहीं, जितना उन्हें उठना चाहिये, यह देखना होगा। मैं तो सरकार से आग्रह करूंगा कि वह एक कमिटी बनावे जो उस क्षेत्र में घूमकर देखें कि वहां की जनता अभी किस स्थिति में हैं।

आप अगर ऐसी कमिटी बनावें जो देहातों में घूम-घूम कर देखे तो आप की कमजोरी एवं उपेक्षा का फल स्पष्ट देखने को मिलेगा। आपकी जो सेवा की नीति रही है उसमें स्वार्थ भरा मालूम पड़ता है। आप जो सेवा की नीति रखते हैं वह फेल्योर रहा है इसमें तो थोड़ा भी सन्देह नहीं। आपने इस प्रकार गैर-जिम्मेवार संस्था के ऊपर पिछड़े आदिवासियों के उत्थान का भार सौंप दिया, यह बड़ा अन्याय किया। सरकार को तो खुद अपनी ओर से इस कार्य को करना चाहिए था पर ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप हमें अभी भी पिछड़े के पिछड़े ही रह गये और समय तथा रुपये नष्ट हुए।

कल एक माननीय सदस्य ने बोलते हुए कहा था कि इस राज्य में पिछड़े और करीब आदिवासीं और हरिजनों को शुद्ध पानी का प्रबन्ध भी नहीं हो पाया है। मैं उनके राय से सहमत हूं और कहता हूं कि हां, इतना तो किया है कि शुद्ध

पानी की जगह शुद्ध शराब पीने के लिए हमारे यहां शानदार व्यवस्था कर दी गई है। इसके लिए सरकार को तो लज्जा होनी चाहिए। आज शराब पिलाकर, ताड़ी पिलाकर, अफीम खिलाकर हमलोगों को पंगु बना दिये हैं और इस तरह अशिक्षित आदिवासियों पर और गरीब हरिजनों पर मनमाना अन्याय कर रहे हैं। आपने संविधान में जो दस वर्ष का वक्त दिया है, उतने समय में आपको यह काम करना है कि पीछड़ी जनता की उत्थान हो, और उस समय का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप बिहार राज्य में जितना जल्द हो सके और शिड्यूल्ड क्षेत्र में तो तुरत ही शराब बन्दी करके गरीब और पिछड़ी जनता को बरबाद होने से बचाइये।

उपाध्यक्ष महोदय, आज दो-तीन वर्षों से छोटानागपुर में लगातार सुखार होता जा रहा है। आपने बजट में तो दिखलाया है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लिए और सुखार क्षेत्र के लिए हम इतना रुपया खर्च कर रहे हैं लेकिन मैं देखता हूं कि आप जो उनके बीच रिलीफ देते हैं वह उनके पास समय पर नहीं पहुंचता है। मैं आपको बतलाता हूं कि हमारे छोटानागपुर में गत वर्ष जो सूखार की वजह से अकाल की स्थिति पैदा हो गयी थी तो वहां रिलीफ का काम जहां-तहां हुआ। उसमें जो रुपये बांटे गये वे ठीक तरह से नहीं बांटे जा सकें हैं। रांची जिले के जैनपुर थाने में चैनपुर से सिलाफरी तक एक सड़क की मरम्मत हुई थी जिसमें बहुत से आदमी अपने भूख प्यास के कारण काम किये। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि २२६ आदमियों को जिन्होंने मजदूरी की अभी तक मजदूरी नहीं मिली है। इसी तरह सारे छोटानागपुर में धांधलियां रही अतः निराश होकर वे बेचारे अपनी रोजी कमाने के लिए घर वार छोड़कर बाहर चले गये हैं। इसी तरह जैरागी सड़क में ४१ आदमियों की मजदूरी अभी भी बाकी है। गुमला थाने के चंदाली सड़क में काम किये १२४ आदमियों की मजदूरी अभी भी बाकी है। यह कितनी बड़ी अफसोस की बात है कि जो गरीब मजदूर अपने भूखे प्यासे परिवार के पेट के लिए अपने भूख प्यास को रोककरके काम करता है और उसको समय पर मजदूरी नहीं दी जाती है। हमारे राजस्वमंत्री जब ७ या ८ जनवरी १९५६ को रांची गये थे तो अपने निवास स्थान में हमें बुलाया था उस समय वहां के डिप्टी कमिश्नर ने बतलाया था कि अभी ४ लाख रुपया रिलीफ फंड में खर्च नहीं हो पाया है और बाकी है। इससे मालूम पड़ता है कि जिन अधिकारियों को काम कराने एवं रिलिफ पहुंचाने की जिम्मे-वारी रहती है वे अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह नहीं निभाते हैं और लोग तक-लीफ उठाते हैं। और सरकार द्वारा दिये गये रुपये का सही उपयोग नहीं हो पाता है। इस वर्ष भी वहां सुखार की दुःखद स्थिति है। सरकार को उसके लिए रिलीफ का प्रबन्ध करना होगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह पहले से ही इस समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हो जाय और इस बात का ध्यान रखे कि जो लोग मेहनत करें, मजदूरी करें उनके पैसे समय पर उनके हाथ में मिल जाय और जिस क्षेत्र में रिलिफ की जरूरत हैं वहां सही प्रकार समय पर मदद पहुंचावें ताकि उनको अपना घर-वार छोड़कर बाहर नहीं नहीं जाना पड़े। वे मूक होते हैं वे अपने अधिकार के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं इसलिए सरकार को उनकी तरफ विशेष ख्याल रखना चाहिए ताकि वे अपने बाल बच्चों को परवरिस कर सकें। मैं इन्हीं चन्द शब्दों के साथ पीछड़े हुए छोटानागपुर की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए अपना भाषण खतम करता हूं।